Samyak
An Institute For Civil Services

राजस्थान सरकार की योजनाएँ (फ्लैगशिप व अन्य) और प्रमुख नीतियाँ

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY



प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)

















राजस्थान रोजगार नीति, 2026



मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

RAS एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

निःशुल्क MOCK TEST

Samyak
An Institute For Civil Services

अपनी तैयारी का कीजिए

अवलोकन, मूल्यांकन व परिमार्जन

परीक्षा से पहले, एक सम्यक् परीक्षा

RAS PRE

2026

29 नवंबर (रविवार) | 11:00 AM

ONLINE & OFFLINE

TOP - 100 विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना

RANK	MAINS OFFLINE COURSE	MAINS ONLINE COURSE	MAINS TEST SERIES (OFFLINE & ONLINE)
1st	FREE	FREE	FREE
2nd	50% OFF	FREE	50% OFF
3rd - 10th	25% OFF	FREE	50% OFF
11th - 100th	25% OFF	25% OFF	25% OFF

FULL TEST
(RAS PRE SYLLABUS)

TOTAL QUESTION : 150
TOTAL MARKS : 200
-VE MARKING : 1/3

FOR REGISTRATION
Scan QR Code
& Visit : www.samyakias.com

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR 9875170111



	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	• नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना
2	ऊर्जा विभाग	• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम योजना) • संशोधित वितरण क्षेत्र योजना
3	महिला अधिकारिता विभाग	• लाडो प्रोत्साहन योजना
4	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
5	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम योजना) • संशोधित वितरण क्षेत्र योजना
6	भूजल विभाग	• कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
7	पंचायती राज विभाग	• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) • स्वामित्व योजना • मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 • अटल ज्ञान केन्द्र
8	स्कूल शिक्षा	• मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना • अटल प्रगति पथ

10	स्वायत्त शासन विभाग	• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) • मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
11	उद्योग विभाग	• पीएम विश्वकर्मा योजना
12	वन विभाग	• मिशन हरियालो राजस्थान
13	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	• जल जीवन मिशन • अमृत योजना
14	आयोजना विभाग	• पंच गौरव योजना
15	ग्रामीण विकास विभाग	• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण • पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना • नमो ड्रोन दीदी • सोलर दीदी • लखपति दीदी योजना • बैंक सखी • कृषि सखी • पशु सखी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना

- विभाग का नाम :- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- लक्ष्य :- छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को जोडना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के तहत ग्रामीण आबादी का 75 % एवं शहरी आबादी के 50 % लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
- इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार NFSA के लिए लाभार्थी/पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा बजट-2025-26 में खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन यूनिट्स को जोडने की घोषणा की थी।
- अन्त्योदय अन्न योजना के तहत- 35 Kg खाद्यान्न प्रतिमाह व अन्य परिवारों को 5 Kg दिया जा रहा है।
- Note: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (1 जनवरी, 2024)- 5 वर्ष तक प्रति परिवार 35 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान अभियान)

- शुरुआत- मार्च, 2019
- केन्द्र का मंत्रालय- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- **राजस्थान का विभाग-** RRECL (Rajasthan Renewable Renewable Energy Limited) (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एजेंसी।
- **कुसुम योजना के 3 घटक-**
  - घटक A- ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
  - घटक B- 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना।
  - घटक C- ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन।
- राजस्थान में लक्ष्य- 1000 मेगावाट (कम्पोनेन्ट A का), 4 लाख सोलर पम्प सेट की स्थापना (कम्पोनेंट C)

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

- विभाग- केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य का ऊर्जा विभाग (राजस्थान में)
- अवधि: वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 (जुलाई 2021 में शुरू)
- व्यय: 303758 करोड़ (5 वर्षों में)
- लक्ष्य:
  - AT&C घाटे को 12-15% तक लाना।
  - ACS-ARR अन्तर को शून्य करना।
  - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग लगाना आदि।

महिला अधिकारिता विभाग

लाडो प्रोत्साहन योजना

- 1 अगस्त 2024 को प्रारम्भ।
- 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिका को 1.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
- इसमें 7 चरण हैं-
  - I. जन्म लेने पर (हॉस्पिटल में) - 2,500/-
  - II. एक वर्ष का होने पर (6 टीके लगने पर) - 2,500/-
  - III. पहली कक्षा में प्रवेश - 4,000/-
  - IV. 6वीं में प्रवेश पर - 5,000/-
  - V. 11 वीं में प्रवेश पर - 11,000/-
  - VI. 12 वीं पास - 25,000/-
  - VII. स्नातक उतीर्ण - 1,00,000/-
  - (कुल 1.5 लाख)
- इनमें 6 किश्तें अभिभावक को तथा 7 वीं किश्त बालिका के खाते में स्थानांतरित की जाती है।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- शुरुआत : 1 जुलाई 2015
- योजना अवधि : 2015-16 से 2025-26
- वित्तीय पेटर्न : 60:40 (केंद्र : राज्य)
- लक्ष्य : "हर खेत को पानी"
- टैगलाइन : "Per Drop More Crop"
- नोडल मंत्रालय : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय
- योजना का प्रकार : केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)

योजना में सम्मिलित प्रमुख कार्यक्रम

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) – जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
- हर खेत को पानी (HKKP)
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) – सूक्ष्म सिंचाई (Drip/Sprinkler Irrigation)
- जलागम विकास घटक (Watershed Development Component)

उद्देश्य

- खेत स्तर पर सिंचाई निवेश का समन्वय एवं अभिसरण करना।
- प्रत्येक खेत तक सिंचाई जल पहुँचाना।
- कृषि योग्य भूमि एवं सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना।
- जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
- सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना।

- जल संरक्षण एवं "More Crop per Drop" को प्रोत्साहित करना।
- सिंचाई क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- जिला सिंचाई योजनाओं (District Irrigation Plans) की व्यवस्था।
- जल उपयोग दक्षता पर विशेष जोर।
- सूखा प्रभावित एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों पर प्राथमिकता।
- माइक्रो इरिगेशन हेतु किसानों को वित्तीय सहायता।
- जल संरक्षण, जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)

- बजट 2021-22 में "प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना" की घोषणा की गई, जिसे बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) नाम दिया गया।
- 15 सितम्बर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति तथा 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से शुभारम्भ।
- अवधि- 2021-22 से 2025-26
- कुल बजट- ₹64,180 करोड़
- नोडल मंत्रालय- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

उद्देश्य

- देश की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना।
- प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- महामारी एवं स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने हेतु सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना।
- Disease Surveillance एवं Emergency Response System को सुदृढ़ बनाना।

प्रमुख घटक-

- **केंद्र प्रायोजित घटक (Centrally Sponsored Components)-**
  - 10 High Focus States में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र।
  - 11 High Focus States में 3,382 Block Public Health Units।
  - सभी जिलों में Integrated Public Health Labs (IPHLs) की स्थापना।
  - 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में Critical Care Hospital Blocks की स्थापना।
- **केंद्रीय क्षेत्र घटक (Central Sector Components)-**
  - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) एवं क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्रों को सुदृढ़ करना।
  - Integrated Health Information Portal का विस्तार।
  - 15 Health Emergency Operation Centres एवं Container-based Mobile Hospitals की स्थापना।
  - 4 नए National Institutes of Virology तथा BSL-III प्रयोगशालाओं की स्थापना।

भूजल विभाग

कर्मभूमि से मातृभूमि

- विभाग: भूजल विभाग (राज० सरकार)
- शुरुआत- 15 जनवरी 2025 (माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा)
- उद्देश्य- वर्षा जल की एक-एक बूंद का संरक्षण, संवर्द्धन व जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण जन सहभागिता से कर राज्य में गिरते भू-जल स्तर को रोकना।
- लक्ष्य- आगामी 4 वर्षों में भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से 45 हजार रिचार्ज/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण। (2027-28 तक)
- प्रगति- अभी तक 14,025 भू-जल रिचार्ज/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कार्य पुरा।
- इस अभियान में शुरुआत में सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुझुनू जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

पंचायती राज विभाग

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM-G)

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शौचालय निर्माण एवं ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख अभियानात्मक योजना।
- योजना का प्रकार : केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
- शुरुआत : 2 अक्टूबर 2014
- टैगलाइन : "एक कदम स्वच्छता की ओर"
- नोडल मंत्रालय : जल शक्ति मंत्रालय
- राजस्थान में नोडल विभाग : पंचायती राज विभाग
- योजना का मुख्य उद्देश्य
  - ग्रामीण भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना।
  - ग्रामीण स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य में सुधार।
  - ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  - व्यवहार परिवर्तन एवं जनभागीदारी आधारित स्वच्छता मॉडल विकसित करना।
- **SBM-G : चरण-I (2014–2019)**
  - उद्देश्य- 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को ODF घोषित करना।
  - प्रमुख उपलब्धियाँ

संकेतक	उपलब्धि
ग्रामीण स्वच्छता कवरेज	2014 में 39% ☒ 2019 में लगभग 100%
ODF घोषणा	अक्टूबर 2019 तक सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
राजस्थान ODF घोषणा	31 मार्च 2018

- **SBM-G : चरण-II (2020-21 से 2025-26)**
  - **उद्देश्य**-ODF से ODF Plus मॉडल की ओर संक्रमण।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना।

चरण-II के प्रमुख घटक

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)

- पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 प्रोत्साहन राशि।

2. सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)

- ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।
- दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं पर विशेष ध्यान।
- प्रति परिसर लगभग ₹3 लाख लागत प्रावधान।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)

- ग्रे-वाटर प्रबंधन
- प्लास्टिक एवं जैविक अपशिष्ट निस्तारण
- कम्पोस्टिंग एवं पुनर्चक्रण व्यवस्था

4. गोबर-धन (GOBAR-DHAN) योजना

- पशु अपशिष्ट एवं जैविक कचरे से ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादन।
- ग्रामीण स्वच्छता एवं आय सृजन दोनों को बढ़ावा।
- प्रत्येक जिले में मॉडल गोबर-धन परियोजना विकसित करने का लक्ष्य।
- **वित्तीय साझेदारी-**

क्षेत्र	**केंद्र : राज्य अनुपात**
▪ सामान्य राज्य	60 : 40
▪ पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्य	90 : 10
▪ केंद्र शासित प्रदेश	100% केंद्र सहायता

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

- ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना।
- योजना का प्रकार : केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme)
- शुरुआत : 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)
- पूरा नाम : Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA)
- नोडल मंत्रालय : पंचायती राज मंत्रालय
- तकनीकी सहयोग : Survey of India
- **योजना की आवश्यकता**
  - ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्पष्ट संपत्ति रिकॉर्ड का अभाव।
  - भूमि सीमांकन विवाद एवं न्यायालयीन मामलों में वृद्धि।
  - ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु सटीक GIS डेटा की आवश्यकता।
  - ग्रामीण परिवारों की संपत्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना।
- **प्रमुख उद्देश्य**
  - ग्रामीण आबादी भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं डिजिटल मानचित्रण।

- संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना।
- ग्रामीण नागरिकों को Property Card प्रदान करना।
- पंचायत स्तर पर GIS आधारित विकास योजना तैयार करना।
- डिजिटल भूमि प्रशासन एवं वित्तीय समावेशन को मजबूत करना।

- **प्रमुख विशेषताएँ**

1. ड्रोन आधारित सर्वेक्षण

- आबादी क्षेत्रों का High Resolution Drone Survey।
- GIS आधारित डिजिटल नक्शे तैयार किए जाते हैं।
- संपत्ति सीमाओं का सटीक निर्धारण।

2. Property Card

- ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी।
- बैंक ऋण, संपत्ति हस्तांतरण एवं वित्तीय सेवाओं में उपयोगी।

3. GIS आधारित ग्रामीण नियोजन

- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता।
- सड़क, जल, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों की योजना निर्माण में उपयोग।

4. डिजिटल गवर्नेंस

- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को बढ़ावा।
- ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता।
- राष्ट्रीय स्तर की प्रगति (Official Data)

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (MJSA 2.0)

- राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने हेतु संचालित राज्य स्तरीय अभियान।
- शुरुआत : फरवरी 2024
- नोडल विभाग : पंचायती राज विभाग
- **पृष्ठभूमि-**
  - यह अभियान पूर्व में संचालित "मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA)" का उन्नत एवं विस्तारित स्वरूप है।
  - मूल अभियान की शुरुआत : 27 जनवरी 2016
  - शुभारम्भ स्थल : गर्दनखेड़ी गाँव, झालावाड़
  - उद्देश्य : जल संरक्षण को जनभागीदारी आधारित आंदोलन बनाना।
- **MJSA 2.0 के प्रमुख लक्ष्य**
  - अगले 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गाँवों को शामिल करना।
  - लगभग 5 लाख जल संचयन एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण/पुनर्जीवन।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा एवं भूजल स्तर सुधार सुनिश्चित करना।
- **प्रमुख कार्य**
  - नए एनीकट (Anicut) निर्माण।

- खेत तालाब (Farm Pond) निर्माण।
- Mini Percolation Tank (MPT) विकसित करना।
- Sub Surface Barrier (SSB) निर्माण।
- पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन एवं मरम्मत।
- वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज कार्य।

- **Economic Review 2025-26**
  - Phase-I के अंतर्गत लगभग 1.10 लाख कार्य एवं ₹2,289.49 करोड़ व्यय का उल्लेख।
  - Phase-II में 20,000 गाँवों में 26,059 कार्य स्वीकृत।
  - जल संरक्षण को "Community-led Water Management Model" के रूप में विकसित किया गया।
- **अभियान के प्रमुख उद्देश्य**
  - अधिकतम वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करना।
  - भूजल स्तर में सुधार एवं जल पुनर्भरण बढ़ाना।
  - पेयजल उपलब्धता को मजबूत करना।
  - सिंचित क्षेत्र एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
  - जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
  - मूल MJSA (2016) की चार अवधारणाएँ
  - संग्रहित जल का संरक्षण एवं उपचार।
  - मौजूदा जल संरचनाओं का प्रभावी उपयोग।
  - गैर-कार्यात्मक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन।
  - नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।

अटल ज्ञान केंद्र योजना (Rajasthan)

- राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी एवं ई-गवर्नेंस सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु प्रारम्भ की गई महत्वपूर्ण पहल।
- घोषणा : 24 दिसम्बर 2024 (सुशासन दिवस)
- योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है।

- **पृष्ठभूमि**
  - राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को डिजिटल संसाधन एवं अध्ययन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर "अटल ज्ञान केंद्र" स्थापित करने की घोषणा की।
  - राजस्थान बजट 2025-26 में इस योजना को औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
- **मुख्य उद्देश्य**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में Digital Inclusion को बढ़ावा देना।
  - युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कैरियर मार्गदर्शन हेतु संसाधन उपलब्ध कराना।
  - पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाओं को मजबूत करना।
  - सरकारी योजनाओं की Last Mile Delivery सुनिश्चित करना।

- **प्रमुख विशेषताएँ**

1. अटल प्रेरक-

- स्थानीय युवक-युवतियों को "अटल प्रेरक" के रूप में चयनित किया जाएगा।
- इनका कार्य ग्रामीण परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराना होगा।

2. डिजिटल एवं अध्ययन सुविधाएँ-

- प्रत्येक केंद्र पर e-Library की व्यवस्था।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, Current Affairs Magazine एवं समाचार पत्र उपलब्ध।
- न्यूनतम 4 डिजिटल वर्कस्टेशन एवं इंटरनेट सुविधा।

3. ई-मित्र एवं ई-गवर्नेंस सेवाएँ-

- प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध।
- पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में कार्य।

4. कैरियर काउंसलिंग-

- युवाओं को रोजगार, कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन।
- ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अध्ययन एवं परामर्श सुविधा।
- राजस्थान बजट एवं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के तथ्य
- प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर केंद्र स्थापित करने की घोषणा।
- प्रथम चरण में लगभग 2056 ग्राम पंचायत मुख्यालय शामिल।
- 1687 केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति।

स्कूल शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)

- राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा के विस्तार एवं शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भ किया गया राज्य स्तरीय अभियान।
- शुरुआत : 29 मार्च 2025
- शुभारम्भ : कोटा में आयोजित "मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन" के दौरान।
- नोडल विभाग : स्कूल शिक्षा विभाग
- **पृष्ठभूमि**
  - पूर्व में संचालित "स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम" अभियान को पुनर्गठित कर "मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)" नाम दिया गया।
  - अभियान को "विकसित राजस्थान" विजन के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र सुधार से जोड़ा गया।
- **अभियान के प्रमुख उद्देश्य**
  - राज्य में विद्यालयी नामांकन दर में वृद्धि।
  - ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को पुनः मुख्यधारा से जोड़ना।
  - बालिका शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहन।
  - सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना।
  - समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- ग्रामीण संपर्कता को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रमुख सड़क अवसंरचना योजना।
- शुभारम्भ : 25 दिसम्बर 2000
- नोडल मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय
- राजस्थान में क्रियान्वयन : सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)
- **योजना का मुख्य उद्देश्य-**
  - ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी (All Weather) सड़क सुविधा से जोड़ना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मंडियों एवं रोजगार तक पहुँच बढ़ाना।
  - आधारभूत संरचना विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना।
- **पात्र बस्तियाँ-**

क्षेत्र	न्यूनतम जनसंख्या
सामान्य मैदानी क्षेत्र	500 या अधिक
जनजातीय, मरुस्थलीय, हिमालयी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (जनगणना 2001 के आधार पर)	250 या अधिक

- **वित्तीय साझेदारी-**

अवधि	वित्तीय अनुपात
प्रारंभिक व्यवस्था	100% केंद्र सहायता
2015-16 के बाद (सामान्य राज्य)	60 : 40
पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्य	90 : 10

- **PMGSY के प्रमुख चरण**
  - चरण-I (2000–2012)
    - ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार सड़क संपर्क उपलब्ध कराने पर केंद्रित।
  - चरण-II (2013–2019)
    - मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन एवं मजबूती पर जोर।
    - लगभग 50,000 किमी सड़क सुधार लक्ष्य।
  - चरण-III (2019–2025)
    - ग्रामीण संपर्क को आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों से जोड़ना।
    - स्कूल, अस्पताल एवं कृषि मंडियों तक सड़क नेटवर्क मजबूत करना।
    - राष्ट्रीय स्तर पर 1.25 लाख किमी सड़क उन्नयन लक्ष्य।

अटल प्रगति पथ योजना (Rajasthan)

- शुभारम्भ : 29 मार्च 2025
- शुभारम्भ स्थल : कोटा (युवा एवं रोजगार महोत्सव)
- नोडल विभाग : सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)

राजस्थान बजट 2024-25

- 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1–3 किमी लंबी मुख्य सड़क को "अटल प्रगति पथ" के रूप में विकसित करने की घोषणा।
- राजस्थान बजट 2025-26 में योजना का दायरा बढ़ाया गया।
- 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में सीमेंट-कंक्रीट (CC) सड़क निर्माण का प्रावधान।
- कुल व्यय प्रावधान : ₹500 करोड़।
- **उद्देश्य**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ सड़क अवसंरचना विकसित करना।
  - गाँवों को सर्व-ऋतु (All Weather) सड़क सुविधा उपलब्ध कराना।
  - ग्रामीण संपर्क, बाजार पहुँच एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
  - ग्रामीण-शहरी आधारभूत सुविधाओं के अंतर को कम करना।
- **आर्थिक समीक्षा 2025-26 के तथ्य**
  - प्रथम चरण : 10,000+ आबादी वाले गाँव शामिल।
  - द्वितीय चरण : 5,000–10,000 आबादी वाले गाँव शामिल।

स्वायत्त शासन विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

- प्रारम्भ : 25 जून 2015
- नोडल मंत्रालय : आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- मिशन : Housing for All
- उद्देश्य : शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों तथा EWS, LIG एवं MIG वर्गों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना।
- लक्षित लाभार्थी

श्रेणी	वार्षिक पारिवारिक आय
EWS (Economically Weaker Section)	₹3 लाख तक
LIG (Low Income Group)	₹3–6 लाख
MIG-I	₹6–12 लाख
MIG-II	₹12–18 लाख

- महिला सशक्तिकरण हेतु महिला मुखिया को घर का मालिक/सह-मालिक बनाना अनिवार्य।
- **PMAY-U के चार प्रमुख घटक-**

1. In-Situ Slum Redevelopment (ISSR)

- "Land as a Resource" मॉडल पर झुग्गी पुनर्विकास।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ स्लम निवासियों को पक्का आवास।
- प्रति घर ₹1 लाख तक केंद्रीय सहायता।

2. Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)

श्रेणी	ऋण सीमा	ब्याज सब्सिडी
EWS/LIG	₹6 लाख तक	6.5%
MIG-I	₹9 लाख तक	4%
MIG-II	₹12 लाख तक	3%

- गृह निर्माण, खरीद एवं विस्तार हेतु ब्याज सब्सिडी।

3. Affordable Housing in Partnership (AHP)

- राज्य सरकार/निजी डेवलपर्स की भागीदारी से किफायती आवास निर्माण।
- प्रत्येक EWS आवास हेतु ₹1.5 लाख केंद्रीय सहायता।

4. Beneficiary Led Construction (BLC)

- EWS परिवारों को स्वयं का घर बनाने/विस्तार हेतु सहायता।
- प्रति आवास ₹1.5 लाख केंद्रीय सहायता।

- **योजना की प्रमुख विशेषताएँ-**
  - Demand-driven Scheme : राज्यों/UTs की मांग के आधार पर स्वीकृति।
  - DBT के माध्यम से सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
  - सामाजिक समावेशन एवं महिला स्वामित्व पर विशेष जोर।
- **उपलब्धियाँ एवं नवीन पहल-**
  - मार्च 2022 तक लगभग 122.69 लाख आवास स्वीकृत।
  - PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता का लक्ष्य।
- **राजस्थान विशेष तथ्य :-** राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में PMAY-U के अंतर्गत 2,88,550 आवासों को स्वीकृति

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U)

- परिचय- शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति एवं वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख मिशन।
- शुरुआत : 2 अक्टूबर 2014, नोडल मंत्रालय : आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- योजना प्रकार : केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य**
  - शहरी भारत को ODF एवं Garbage Free बनाना।
  - 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
  - व्यवहार परिवर्तन एवं जनभागीदारी को बढ़ावा।
  - Circular Economy एवं Waste to Wealth मॉडल विकसित करना।
- **SBM-U 1.0 (2014–2019)-**
  - प्रमुख लक्ष्य
    - सभी वैधानिक शहरों को ODF बनाना।
    - वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना।

- **प्रमुख उपलब्धियाँ**

संकेतक	उपलब्धि
शहरी ODF घोषणा	2019
व्यक्तिगत शौचालय	66 लाख+
सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सीटें	6 लाख+

- **SBM-U 2.0 (2021–2026)**
  - **वित्तीय परिव्यय-** लगभग ₹1.41 लाख करोड़
  - **मुख्य फोकस**
    - ODF ☒ ODF+ ☒ ODF++
    - Garbage Free Cities
    - Used Water Management
    - Legacy Waste Remediation
  - **प्रमुख घटक**
    - Source Segregation एवं Door-to-Door Collection
    - 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण
    - Faecal Sludge & Septage Management (FSSM)
    - Material Recovery Facilities (MRF)
    - IEC/BCC द्वारा जन-जागरूकता
  - **ODF श्रेणियाँ**

श्रेणी	अर्थ
ODF	खुले में शौच मुक्त
ODF+	ODF + कार्यशील सार्वजनिक शौचालय
ODF++	ODF+ + सुरक्षित सीवेज/मल-कीचड़ प्रबंधन

- **राजस्थान : आर्थिक समीक्षा 2025-26 के तथ्य**
  - राज्य में ODF+/ODF++ प्रमाणित नगर निकायों की संख्या में वृद्धि।
  - Door-to-Door Waste Collection एवं Solid Waste Processing Infrastructure का विस्तार।
  - Legacy Waste Disposal एवं Garbage Free Cities पर विशेष फोकस।
- **महत्व**
  - शहरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार।
  - प्रदूषण एवं अनियंत्रित कचरा निस्तारण में कमी।
  - Sustainable Urban Development को बढ़ावा।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

- प्रारम्भ : 15 दिसम्बर 2024
- शुभारम्भ स्थल : सांगानेर, जयपुर
- नोडल विभाग : स्वायत्त शासन विभाग
- योजना का उद्देश्य : शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

- **लक्षित लाभार्थी**
  - भवन निर्माण श्रमिक
  - हस्तशिल्प श्रमिक
  - गिग वर्कर
  - ट्रांसपोर्ट वर्कर
  - सफाई कर्मी
  - घरेलू एवं केयर वर्कर
  - अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
- **पात्रता**
  - आयु : 18 से 60 वर्ष
  - राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक।
  - शहरी क्षेत्र का असंगठित श्रमिक/जरूरतमंद परिवार।
- **योजना के प्रमुख प्रावधान**
  - बिना गारंटी ऋण सुविधा
  - बैंक द्वारा बिना गारंटी एवं बिना प्रक्रिया शुल्क ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  - कुल ₹80,000 तक ऋण तीन चरणों में दिया जाएगा।

चरण	ऋण राशि	पुनर्भुगतान अवधि
प्रथम चरण	₹10,000	12 माह
द्वितीय चरण	₹20,000	18 माह
तृतीय चरण	₹50,000	36 माह

  - ब्याज अनुदान- समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 7% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **योजना का महत्व**
  - शहरी गरीब एवं असंगठित श्रमिकों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता।
  - छोटे व्यवसाय एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन।
  - साहूकारों पर निर्भरता कम करने का प्रयास।
  - वित्तीय समावेशन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

उद्योग विभाग

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma)

- शुरुआत : 17 सितम्बर 2023
- योजना का प्रकार : केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme)
- नोडल मंत्रालय : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राजस्थान का उद्योग विभाग (नोडल)
- अवधि : 2023-24 से 2027-28

- कुल वित्तीय परिव्यय : ₹13,000 करोड़
- बजट 2023-24 में "PM Vishwakarma Kaushal Samman (PM-VIKAS)" की घोषणा।
- **उद्देश्य**
  - पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करना।
  - पारंपरिक कौशल एवं "गुरु-शिष्य परंपरा" का संरक्षण।
  - Skill, Credit, Toolkit एवं Market Support उपलब्ध कराना।
  - कारीगरों को MSME एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना।
- **पात्रता**
  - 18 वर्ष से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगर/शिल्पकार।
  - चिन्हित 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति।
  - प्रति परिवार केवल एक सदस्य पात्र।
  - सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिवारजन अपात्र।
- **प्रमुख लाभ**
  - कौशल प्रशिक्षण- Basic Training : 5–7 दिन (40 घंटे) व Advanced Training : 15 दिन तक
  - स्टाइपेंड : ₹500 प्रतिदिन
  - टूलकिट सहायता- आधुनिक उपकरण खरीद हेतु ₹15,000 सहायता (e-RUPI/e-Voucher)।
  - ऋण सहायता (Collateral Free Loan)

किस्त	राशि	अवधि
प्रथम	₹1 लाख	18 माह
द्वितीय	₹2 लाख	30 माह

  - 5% रियायती ब्याज दर।
  - डिजिटल प्रोत्साहन- प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन तक ₹1 प्रति लेनदेन प्रोत्साहन।
- **महत्वपूर्ण व्यवसाय :-** बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, दर्जी, नाई, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता आदि।
- **Note-** राजस्थान बजट 2025-26 में कोटा में "विश्वकर्मा कौशल संस्थान" स्थापित करने की घोषणा।
  - प्रस्तावित राशि : ₹150 करोड़।

वन विभाग

हरियालो राजस्थान मिशन

- नरेन्द्र मोदी जी के 'एक पेड़ माँ के नाम' से प्रेरित मिशन
- शुरुआत: 7 अगस्त 2024 (जाहोता - दूदू जिला - जयपुर से)
- विभाग: वन विभाग, राजस्थान सरकार।
- लक्ष्य: मिशन के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
- (वर्तमान वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य)
- **अन्य मुख्य बिन्दु-** 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा।
  - ग्रीन बजट 2025-26 की अवधारण से प्रेरित

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जल जीवन मिशन

- शुरुआत- 15 अगस्त, 2019
- केन्द्र-राज्य अनुपात- 50 : 50
- लक्ष्य- 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्धता, वर्ष 2028 तक हर घर नल कनेक्शन
- शुरुआत- माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त, 2019
- उद्देश्य- हर घर, हर गाँव और ढाणी तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना
- प्रगति- विगत दो वर्षों में 10482 करोड़ रू. की लागत से 13 लाख 56 हजार से अधिक परिवारों को जल उपलब्ध कराया गया।
- इस वर्ष राजस्थान में 20 लाख जल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। (बजट घोषणा)

अमृत 2.0 योजना

- AMRUT - पूरा नाम- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
- शुरुआत- 25 जून, 2015, प्रारंभ में 29 शहर शामिल
- विभाग-जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए PHED (राज्य का विभाग)
- केन्द्र का मंत्रालय- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- प्रगति- अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 178 शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु 5099.56 करोड़ रू. की स्वीकृतियाँ जारी, जिनमें से 104 निकायों के कार्यादेश जारी।
- कार्य- जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, पार्क विकास, वाई-फाई आदि
- **वित्तीय पैटर्न-**

जनसंख्या	केन्द्र का अंशदान
1 लाख से कम :	50 %
1 - 10 लाख तक :	33 %
10 लाख से अधिक :	25 %

- Note- बाकी राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिसका 10 % निकाय द्वारा देय होता है।

आयोजना विभाग

पंच गौरव योजना

- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के संतुलित एवं बहुआयामी विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 'पंच गौरव योजना' प्रारम्भ की गई।
- यह योजना प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर, कृषि उत्पादन, उद्योग तथा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- प्रारम्भ- 17 दिसम्बर, 2024

- राज्य- राजस्थान
- संबंधित विभाग- आयोजना विभाग
- उद्देश्य- पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना
- लक्षित क्षेत्र- प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान का विकास
- **योजना का उद्देश्य- राजस्थान के निम्न क्षेत्रों का विकास करना है-**
  1. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
  2. स्थानीय वनस्पतियों एवं जैव विविधता का संरक्षण
  3. स्थानीय उद्योगों एवं उत्पादों को प्रोत्साहन
  4. पर्यटन विकास एवं रोजगार सृजन
  5. खेल प्रतिभाओं का विकास
- **पंच गौरव के 5 घटक-**

  1. एक जिला- एक उत्पाद
  2. एक जिला- एक फसल
  3. एक जिला- एक वनस्पति प्रजाति
  4. एक जिला- एक खेल
  5. एक जिला- एक पर्यटन स्थल।
- **प्रशासनिक व्यवस्था-** योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है –

  1. राज्य स्तरीय समिति :-
     - अध्यक्ष – मुख्य सचिव
     - कार्य – योजना की निगरानी, समन्वय एवं नीति निर्धारण
  2. जिला स्तरीय समिति
     - अध्यक्ष – जिला कलेक्टर
     - कार्य – जिला स्तर पर योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन

जिलेवार चिन्हित पञ्च गौरव

क्र.	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
1	अजमेर	गुलाब	नीम	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	पुष्कर तीर्थ	कबड्डी
2	अलवर	प्याज	अर्जुन	ऑटामोबाइल पार्ट्स	सरिस्का टाईगर रिजर्व	कुश्ती
3	बालोतरा	अनार	रोहिड़ा	टैक्सटाइल उत्पाद	नाकोड़ा जैन मंदिर	क्रिकेट
4	बांसवाड़ा	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर	तीरंदाजी
5	बारां	लहसुन	चिरौंजी	लहसुन के उत्पाद	रामगढ़ क्रेटर	फुटबॉल
6	बाड़मेर	ईसबगोल	रोहिड़ा	कशीदाकारी	किराडू मंदिर	बास्केटबॉल
7	ब्यावर	गेंहू	करंज	क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर	टोडगढ़ पहाड़ी	हॉकी
8	भरतपुर	शहद	कदम्ब	कृषि आधारित उत्पाद	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	कुश्ती
9	भीलवाड़ा	संतरा	अर्जुन	टेक्सटाईल उत्पाद	माण्डलगढ़ किला	बास्केटबॉल
10	बीकानेर	मोठ	रोहिड़ा	बीकानेरी नमकीन	करणी माता मंदिर	तीरंदाजी
11	बून्दी	चावल	धोक	सेन्ड स्टोन	रामगढ़ विषधारी टाईगर रिज़र्व	कबड्डी
12	चित्तौड़गढ़	सीताफल	बिल्व पत्र	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	चित्तौडगढ़ दुर्ग	कबड्डी
13	चूरू	ग्वारपाठा	खेजड़ी	लकड़ी के उत्पाद	सालासर बालाजी मंदिर	एथलेटिक्स
14	दौसा	सौंफ	ढाक	पत्थर के उत्पाद	मेहंदीपुर बालाजी मंदिर	फुटबॉल
15	डीडवाना—कुचामन	प्याज	खेजड़ी	मार्बल एवं ग्रेनाईट के उत्पाद	डीडवाना झील	बास्केटबॉल
16	डीग	सरसों	अर्जुन	स्टोन आधारित उत्पाद	डीग महल	कुश्ती
17	धौलपुर	आलू	करंज	स्टोन आधारित उत्पाद	मचकुण्ड	हॉकी
18	डूंगरपुर	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	बेणेश्वर धाम	हॉकी
19	हनुमानगढ़	किन्नू	शीशम	कृषि आधारित उत्पाद	गोगामेड़ी मंदिर	हॉकी
20	जयपुर	आंवला	लिसोड़ा	रत्नाभूषण	आमेर दुर्ग	कबड्डी

21	जैसलमेर	खजूर	जाल	येलो स्टोन के उत्पाद	जैसलमेर दुर्ग	जिमनास्टिक
22	जालौर	अनार	जाल	ग्रेनाईट के उत्पाद	सुँधा माता मंदिर	बॉक्सिंग
23	झालावाड़	संतरा	सागवान	कोटा स्टोन के उत्पाद	गागरोन दुर्ग	बास्केटबॉल
24.	झुन्झुनू	सरसों	नीम	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद	लोहार्गल तीर्थ	बास्केटबॉल
25.	जोधपुर	जीरा	जाल	लकड़ी के फर्नीचर	मेहरानगढ़ दुर्ग	जिमनास्टिक
26.	करौली	तिल	बरगद	सेण्ड स्टोन के उत्पाद	कैलादेवी मंदिर	क्रिकेट
27.	खैरथल - तिजारा	प्याज	शीशम	ऑटोमोबाईल पार्ट्स	तिजारा जैन मंदिर	कुश्ती
28.	कोटा	धनिया	खैर	कोटा डोरिया	चम्बल रिवर फ्रंट	कुश्ती
29.	कोटपूतली-बहरोड़	गाजर	गूगल	ऑटोमोबाईल पार्ट्स	बैराठ	कुश्ती
30.	नागौर	मूंग	खेजडी	पान मैथी एवं मसाला प्रसंस्करण	मीराबाई स्मारक	कबड्डी
31.	पाली	मेंहदी	नीम	टेक्सटाईल के उत्पाद	रणकपुर जैन मंदिर	बास्केटबॉल
32.	फलौदी	जीरा	जाल	सोनामुखी के उत्पाद	खींचन	एथलेटिक्स
33.	प्रतापगढ़	कलौंजी	तेंदू	थेवा आभूषण	सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण	तीरंदाजी
34.	राजसमन्द	सीताफल	नीम	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	कुम्भलगढ़ किला	हॉकी
35.	सलूम्बर	मक्का	पलाश	क्वार्ट्ज	जयसमंद झील	कबड्डी
36.	सवाई माधोपुर	अमरूद	नीम	मार्बल के उत्पाद	रणथम्भौर नेशनल पार्क	फुटबॉल
37.	सीकर	प्याज	अरडू	लकड़ी के फर्नीचर	खाटूश्यामजी मंदिर	बास्केटबॉल
38.	सिरोही	सौंफ	महुआ	मार्बल के उत्पाद	देलवाड़ा जैन मंदिर	तीरंदाजी
39.	श्रीगंगानगर	किन्नू	शीशम	सरसों का तेल	बूढ़ा जोहड़	एथलेटिक्स
40.	टोंक	सरसों	अमलतास	स्लेट स्टोन के उत्पाद	डिग्गी कल्याण जी	एथलेटिक्स
41.	उदयपुर	सीताफल	महुआ	मार्बल एवं ग्रेनाईट के उत्पाद	फतेहसागर एवं पिछोला झील	तैराकी

ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

- शुरुआत : 1 अप्रैल 2016
- योजना का प्रकार : केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
- पूर्व योजना : इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठित स्वरूप।
- नोडल मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय
- उद्देश्य : "Housing for All" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना।

प्रमुख उद्देश्य

- सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का घर उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- योजना का विस्तार (2024-29)
- प्रारंभिक लक्ष्य : 2.95 करोड़ घर (2023-24 तक)।
- अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को 2028-29 तक बढ़ाया गया।
- अतिरिक्त 2 करोड़ नए घरों को मंजूरी।
- कुल परिव्यय : ₹3,06,137 करोड़।

लाभार्थी चयन

- चयन का आधार : SECC-2011 (Socio Economic & Caste Census)।
- ग्राम सभा द्वारा सत्यापन एवं Geo-Tagging अनिवार्य।
- महिला मुखिया को मालिक/सह-मालिक बनाना योजना की प्रमुख विशेषता।
- **वित्त पोषण पैटर्न**

क्षेत्र	केंद्र : राज्य अनुपात
मैदानी राज्य	60 : 40
पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	90 : 10
अन्य केंद्र शासित प्रदेश	100% केंद्र सहायता

वित्तीय सहायता

क्षेत्र	सहायता राशि
मैदानी क्षेत्र	₹1.20 लाख
पहाड़ी/दुर्गम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	₹1.30 लाख

अतिरिक्त लाभ

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 अतिरिक्त।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार।
- DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि हस्तांतरण।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना

- परिचय- राजस्थान सरकार की ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन आधारित समेकित योजना।
- शुरुआत- राजस्थान बजट 2025-26
- उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को कम कर आत्मनिर्भर गांव विकसित करना।
- नोडल विभाग- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- **उद्देश्य**
  - ग्रामीण गरीब परिवारों की पहचान एवं समग्र उत्थान।
  - रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा।
  - आधारभूत सुविधाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संतृप्तिकरण।
  - गांवों को "गरीबी मुक्त ग्राम" के रूप में विकसित करना।
- **प्रमुख प्रावधान**
  - चयनित गांवों में परिवार आधारित सर्वेक्षण।
  - पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना।
  - आजीविका, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन पर विशेष फोकस।
  - महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रोत्साहन।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र**

क्षेत्र	प्रमुख गतिविधियाँ
आजीविका	स्वरोजगार एवं रोजगार
कौशल विकास	युवाओं का प्रशिक्षण
सामाजिक सुरक्षा	पेंशन एवं DBT योजनाएँ
वित्तीय समावेशन	बैंक खाते एवं ऋण सुविधा
आधारभूत सुविधाएँ	आवास, पेयजल, स्वच्छता

- **योजना की रणनीति**
  - "Convergence Model" आधारित क्रियान्वयन।
  - विभिन्न विभागीय योजनाओं का एकीकरण।
  - ग्राम पंचायत आधारित मॉनिटरिंग।
  - डेटा आधारित गरीबी पहचान एवं ट्रैकिंग।
- **राजस्थान बजट 2025-26 : प्रमुख बिंदु-**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास पर विशेष जोर।
  - अंत्योदय आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा।
  - गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं की Saturation Coverage सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- **योजना का महत्व-**
  - ग्रामीण गरीबी में कमी।
  - सामाजिक एवं आर्थिक असमानता घटाना।
  - ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन।
  - "Antyodaya" दर्शन को बढ़ावा।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- परिचय- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन उपलब्ध करवाकर कृषि सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार की पहल।
- शुरुआत: 2023
- नोडल मंत्रालय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

- **उद्देश्य-**
  - महिला SHGs को ड्रोन तकनीक से जोड़ना।
  - कृषि में Precision Farming एवं Nano Fertilizer Spraying को बढ़ावा।
  - ग्रामीण महिलाओं की आय वृद्धि।
- **प्रमुख तथ्य**
  - 2024-25 से 2025-26 तक लगभग 15,000 महिला SHGs को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
  - ड्रोन खरीद हेतु लगभग 80% तक सहायता (अधिकतम ₹8 लाख)।
  - प्रशिक्षण एवं Drone Pilot Certification की व्यवस्था।
- **महत्व**
  - कृषि का आधुनिकीकरण।
  - महिला तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा।

सोलर दीदी पहल

- परिचय- ग्रामीण महिलाओं को Solar Energy आधारित आजीविका एवं ऊर्जा सशक्तिकरण से जोड़ने की पहल।
- **संबंधित योजनाएँ-**
  - PM Surya Ghar
  - Deendayal Antyodaya Yojana – NRLM
- **उद्देश्य-**
  - महिलाओं को सोलर उपकरण संचालन एवं रखरखाव में प्रशिक्षित करना।
  - हरित ऊर्जा एवं ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा।
- **प्रमुख कार्य-**
  - Solar Lantern, Solar Pump एवं Rooftop Solar से संबंधित प्रशिक्षण।
  - SHGs को Green Energy Entrepreneurship से जोड़ना।

लखपति दीदी योजना

- परिचय- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक करने का अभियान।
- घोषणा: स्वतंत्रता दिवस 2023
- नोडल मंत्रालय- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **लक्ष्य-**
  - प्रारम्भिक लक्ष्य : 2 करोड़ महिलाएँ
  - बाद में लक्ष्य बढ़ाकर : 3 करोड़ "लखपति दीदी"

- **रणनीति**
  - Skill Development
  - Micro-enterprise Promotion
  - Financial Literacy
  - SHG Credit Linkage
- **राजस्थान संदर्भ :-** राजस्थान में NRLM के अंतर्गत महिला SHGs को स्वरोजगार, डेयरी, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है।

बैंक सखी

- परिचय- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु SHG महिलाओं को "Banking Correspondent Sakhi" के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **उद्देश्य-**
  - Doorstep Banking सेवाएँ उपलब्ध कराना।
  - वित्तीय समावेशन बढ़ाना।
- **सेवाएँ-**
  - नकद निकासी/जमा
  - DBT भुगतान
  - आधार आधारित बैंकिंग
  - जनधन खातों का संचालन
- **महत्व-**
  - ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय भागीदारी में वृद्धि।

कृषि सखी

- **परिचय-**
  - SHG महिलाओं को कृषि विस्तार सेवाओं से जोड़ने की पहल।
  - कृषि मंत्रालय एवं DAY-NRLM के सहयोग से संचालित।
- **उद्देश्य**
  - प्राकृतिक खेती एवं उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार।
  - महिला किसानों तक वैज्ञानिक कृषि जानकारी पहुँचाना।
- **प्रमुख कार्य**
  - जैविक खेती प्रशिक्षण
  - उर्वरक एवं कीटनाशक उपयोग सलाह
  - FPO एवं कृषि योजनाओं की जानकारी

पशु सखी-

- परिचय- ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन आधारित आजीविका एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की पहल।
- **उद्देश्य-**
  - पशुपालन क्षेत्र में महिला भागीदारी बढ़ाना।
  - डेयरी एवं Livestock आधारित आय वृद्धि।

- **प्रमुख कार्य-**
  - पशु टीकाकरण जागरूकता
  - पशु पोषण सलाह
  - डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण
- **राजस्थान संदर्भ-**
  - राजस्थान में पशुपालन आधारित SHG मॉडल को ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा गया है।
- **भारत आर्थिक सर्वेक्षण**
  - महिला SHGs को "Rural Transformation Engine" बताया गया।
  - डिजिटल वित्तीय समावेशन एवं महिला उद्यमिता पर विशेष जोर।
- **राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26**
  - SHG आधारित आजीविका मॉडल, महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा।
  - NRLM के माध्यम से महिला समूहों की बैंक लिंकिंग एवं कौशल विकास पर फोकस।

राजस्थान सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएँ

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना

- शुरुआत- 2017-18 में
- इसकी शुरुआत तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में की गयी जिसमें कोटा उदयपुर, भीलवाडा भीलवाडा क्षेत्र शामिल है।
- 2018-19 में इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू की गयी।
- इसमें 9 फसलों (गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मूंग, मोद, उडद) के प्रमाणित बीज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया ।

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना

- शुरुआत - 2024-25 , इसका मुख्य उद्देश्य वर्मी कम्पोस्ट उर्वरक तैयार करना है।
- प्रत्येक ब्लॉक (352) में 50 किसानों को लागत का 50% । अधिकतम 10,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- लाभार्थी के घर में न्यूनतम पाँच गोवंश होने चाहिये।
- आवेदन - राजस्थान किसान पोर्टल

एग्री क्लिनिक

- यह योजना 2024-25 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी ।
- 2024-25 में 20 में जिला मुख्यालयों पर तथा 2025-26 को शेष 13 जिला मुख्यालय पर ये क्लिनिक खोले जाने का प्रावधान किया गया ।
- इस योजना का पहला एग्री विलनिक सितम्बर, 2024 में भरतपुर में खोला गया ।

ZBNF. Zero Budget Zero Budget Natural farming

- 2019-20 में Government of Rajasthan द्वारा प्रारम्भ किया गया।
- इसका प्रारम्भ टोंक सिरोही बांसवाडा में किया गया। 2020-21 में 15 जिलों में प्रारम्भ हो हो गयी जो पूर्वी राजस्थान में ।
- ZBNF का पिता सुभाष पार्लेकर को कहा जाता है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड

- फरवरी, 2024 में घोषित ।
- यह 100% ब्याज अनुदान अर्थात ब्याज मुक्त ऋण प्रदान होता है।
- इसमें 1 लाख का रुपये ऋण दिया जाता है।
- यह पशुपालक कृषक परिवारों को दिया जाता है।
- यह कार्ड 2024-25 में 2.50 लाख पशुपालकों को देने की घोषणा की गयी ।
- उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की आजीविका मुख्यत कृषि एवं डेयरी गतिविधियों से जुड़े परिवारों को सहयोग प्रदान करने तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देना ।

कृषक साथी सहायता योजना

- इस योजना का 2009 में नाम बदलकर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किया गया तथा 20 अक्टूबर, 2024 में पुन: इसका नाम बदलकर मुख्यमत्री कृषक साथी सहायता योजना किया गया।
- उद्देश्य - कृषि कार्य करते समय या कृषि उत्पाद के विपणन हेतु आवागमन पर दुर्घटना ग्रस्त होने या मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है।
- मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता तथा दुर्घटना होने पर, अंग क्षतिग्रस्त पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।

किसान कलेवा योजना - 2014

- कृषि उत्पाद विपणन हेतु मण्डी/यार्ड में आने पर किसान या हाली को कराने हेतु कूपन 5 रुपये थाली में भरपेट भोजन उपलब्ध थाली दिया जाता है। शेष खर्च कृषि मण्डी प्रशासन द्वारा उठाया जाता है ।

महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना

- शुरुआत 2015 में ।
- इस योजना में निम्न सहायता दी जाती है ।
  i. मातृत्व अवकाश सहायता - इसमें महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान 45 दिन के अवकाश की सवैतनिक मजदूरी दी जाती है।
  ii. पितृत्व अवकाश- मण्डी श्रमिक के पिता बनने पर 15 दिन का अवकाश की सवैतनिक मजदूरी दी जाती है।
  iii. विवाह सहायता- मण्डी श्रमिक युवती के स्वयं की शादी या पुत्री की शादी (अधिकतम दो पुत्रियों पर) पर 75,000/- रुपये की सहायता दी जाती है।
  iv. छात्रवृति प्रोत्साहन - मण्डी श्रमिक के पुत्र-पुत्री को 60% से अधिक अंक लाने पर नियमानुसार छात्रवृति सहायता प्रदान की जाती है।
  v. चिकित्सा सहायता – मंडी श्रमिक को बीमार (गंभीर बीमार) होने पर 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है ।

लघु सीमान्त वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना

- शुरुआत - 1 मार्च, 2019, इसमें किसानो को 1250/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ।
- पेशन के लिये लिये निर्धारित आयु (75 वर्ष तक)
  - महिलायें - 55 वर्ष या अधिक
  - पुरुष - 58 वर्ष या अधिक लेकिन 27 फरवरी, 2026 को यह राशि 1450/- प्रतिमाह कर दी गयी ।
  - 75 वर्ष से अधिक को 1500 ₹ प्रतिमाह ।

कृषक उपहार योजना

- शुरुआत - 1 जनवरी, 2022
- E-NAM पोर्टल के माध्यम से फसल विपणन पर 10,000 के गुणक पर उपहार कूपन दिये जाते है।
- प्रति 6 भाह पर कूपन पर उपहार घोषित किये जाते है-

	वार्षिक
प्रथम पुरस्कार - 50,000/-	2.5 लाख
द्वितीय पुरस्कार - 30,000/-	1.5 लाख
तृतीय पुरस्कार - 20,000/-	11 लाख

सावित्री बाई फुले महिला (कृषक) सशक्तिकरण योजना

- मार्च 2018 में प्रारम्भ। यदि मण्डी में बेचे गये माल का मूल्य डिजीटल प्राप्त करने पर, 50,000 रुपये पर 500 रुपये, तथा 1 लाख रुपये पर 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

सहकारी किसान कल्याण योजना

- शुरुआत - 25 जून 2015 को।
- 10 लाख रुपये का ऋण लेने पर ब्याज पर सरकार द्वारा 7% अनुदान दिया जाता है और 3% किसान द्वारा ब्याज दिया जाता है। इसमें 10%. ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

मुख्यमंत्री निः शुल्क पशुधन दवा योजना

- शुरुआत- वर्ष 15 अगस्त, 2012
- पहले इसमें दवाओं की संख्या 138 थी लेकिन 2025-26 में इनकी संख्या को बढाकर 200 कर दिया गया।

मोबाइल वेटनरी यूनिट

- शुरुआत- 24 फरवरी 2024
- इसमें पशुपालक के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवायें दी जाती है।
- इसमें एमवीयू यूनिट 536 है | इसका निः शुल्क मोबाइल कॉल फ्री नम्बर 1962 है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना :-

- कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत 2023-24 में की जिसका 2024 में नया नाम cm मंगला पशु बीमा योजनारखा।
- घोषणा - 2024, शुरुआत- 13 दिसम्बर 2024
- प्रथम चरण में 21 लाख पशुओं का बीमा का प्रावधान किया गया जिसमे 5 लाख गौवंश, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड, 5 लाख बकरी, 1 लाख ऊंट का निःशुल्क बीमा किया गया।
- इसका 100 % प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
- इसमें एक वर्ष का का बीमा किया जाता है।
- INAPH-Information Network for Animal productivity and health यह 12 अंक का कार्ड होता है जो पशु का होना आवश्यक है।
  - पहला चरण - 13.12. 2024 को 2024-25 में 21 लाख पशुओं का बीमा।
  - द्वितीय चरण - 1.12. 2025 को 2025-26 में 21 लाख पशुओं का बीमा।

- तो कुल 42 लाख पशुओं का बीमा कर दिया गया।
- प्रति यूनिट मृत्यु पर 40,00 ₹ दिये जाते है।
- 1 यूनिट = भैंस, गौवंश और ऊंट सहित भेड, बकरी के लिये 10 पशु।

ऊष्ट्र सरक्षण योजना

- 2022-23 में प्रारम्भ की गयी थी।
- पहले 5000 + 5000 = 10,000 दो किश्तों में ऊंट संरक्षण के लिये 0-2 माह व 1 वर्ष का टोरडा ।
- टोरडी होने पर अनुदान दिया जाता था। जो 2024-25 से 10,000 + 10,000 = 20,000 दो किश्तों में कर दिया गया ।

राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

- शुरुआत - 1 जनवरी 2017 से ।
- यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है ।
- मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपये का बीमा तथा आंशिक अपंगता पर 2.50 लाख रुपये का बीमा।
- इसे 1 फरवरी से 31 जनवरी तक प्रतिवर्ष लागू किया जाता है।
- वर्तमान में 2025-26 में इस बीमा योजना का 9 वाँ चरण लागू है जो 1 फरवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक लागू है।

सरस सामूहिक सामूहिक आरोग्य बीमा योजना

- शुरुआत - 15 जुलाई 2014, इसमें 3 माह से 65 वर्ष की आयु के आयु के व्यक्तियों का बीमा किया जाता है।
- यह पारिवारिक बीमा योजना है।
- जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना

- शुरुआत- 2 अप्रैल 2013 से । इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को 2 क प्रति प्रति लीटर की सहायता राशि से बढाकर 5 रु प्रति लीटर कट दी गयी ।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

- शुरुआत - 19 अप्रैल 2013
- आयु - 18-45 वर्ष
- कक्षा X उत्तीर्ण या ITI उत्तीर्ण को ऋण दिया जाता है।
- इसमें MSME के लिये ऋण दिया जाता है।
- इसमें 5 करोड़ तक ऋण दिया जा सकता है लेकिन 2 करोड रुपयें तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
- प्रतिवर्ष 1000 औद्योगिक इकाइयों को ऋण दिया जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

- 8 सितम्बर 2022 से शुरू
- इसमें उन उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है जिसमें SC/ST का स्वामित्व 51%
- हो और यह लाभ सहायता गैर कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण । सेवा । व्यापार) में दी जाती है।

- यदि निवेश -
  - 25 लाख रु के से तक - 9% ब्याज अनुदान
  - 25 लाख से 5 करोड़ रु. तक – 7% ब्याज अनुदान
  - 5 करोड रु से 10 करोड़ का तक - 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
  - मार्जिन मनी अनुदान- 25% या 25 लाख रु जो भी कम हो।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

- शुरुआत- 8 दिसम्बर 2024 से,
- उद्देश्य - राजस्थान राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा, और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता. गुणवत्ता और दक्षता को बढाना।

राज्य सरकार द्वारा कारीगर। शिल्पकार / बुनकर कलस्टरों को सहायता	कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFC) हेतु सहायता	आधारभूत संरचना विकास हेतु msme को सहायता
(1) सॉफ्ट इंटरवेशन- (i) ट्रेनिंग (ii) पैकेजिंग (iii) डिजाइन (iv) मार्केटिंग आदि हेतु ₹ 50 लाख तक की सहायता। (2) कच्चे माल के डिपो के लिये 8% ब्याज सहायता, (3) E-कॉमर्स पर 50 हजार की एकमुश्त सहायता।	■ सामान्य परीक्षण पैकेजिंग प्रसंस्करण, रिसाइक्लिंग आदि सुविधाओं हेतु CFC के लिये 10 करोड़ तक लागत का अधिकतम / 90% तक अनुदान	(1) गैर रीको क्षेत्र में ■ मौजूदा क्लस्टर क्षेत्र के विकास हेतु ₹10 करोड के प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत (अधिकतम) सहायता ■ (11) ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हेतु 60% या अधिकतम ₹ 5 करोड की सहायता,

- इस योजना के अन्तर्गत राज के 9 जिलों में 10 कलस्टर बनाये गये जो निम्न है -
  (i) हनुमानगढ - एग्रो टुल्स
  (ii) चूरू- लैदर शू
  (iii) झुझुनु - गोटा जरी
  (iv) जयपुर - 2 है A जयपुर- होम फर्नीसिंग
  B चाकसू- लैदर शूज
  (v) दौसा - पत्थर तराशना
  (vi) कोटपूतली बहरोड - इंजिनियरिंग फ्रेबिकेशन
  (vii) भरतपुर - पत्थर तराशना
  (viii) बालोतरा - टैक्सटाइल प्रोसेसिंग
  (ix) फलौदी - सोनामुखी

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

- प्रारम्भ- 3 sep. 2025
- उद्देश्य- राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तिय सहायता।

- ब्याज अनुदान– 1 करोड तक ऋण - 8%
- 1 से 2 करोड तक ऋण - 7%
- यदि महिला, SC, ST, दिव्यांग कार्डधारकों को (1% अतिरिक्त)
- 1 से 2 करोड़ पर 1% से अतिरिक्त,
- मार्जिन मनी अनुदान - 25% था अधिकतम 5 लाख

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

- शुरुआत- 15 जनवरी 2026
- उद्देश्य- 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देना।
- 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण सूक्ष्म उद्योगों के लिये।

शैक्षणिक योग्यता	क्षेत्र	अधिकतम ऋण सीमा	मार्जिन मनी अनुदान
(i) 8 वीं से 12 वीं पास	सेवा व व्यापार	3.5 लाख	ऋण राशि का 10% (अधिकतम 35,000)
(ii) 8 वीं से 12 वीं पास	विनिर्माण / मैन्युफैक्चरिंग	7.5 लाख	10% या अधिकतम 35,000
(iii) स्नातक / ITI	सेवा व व्यापार	5 लाख	10% या अधिकतम 50,000
(iv) स्नातक / ITI	विनिर्माण / मैन्युफैक्चरिंग	10 लाख	10% या अधिकतम 50,000

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

- लागू- 9 सितम्बर 2022
- 125 दिन का रोजगार शहरी व्यक्तियों/परिवार को दिया जाता है।
- 90 % महिलाओं को रोजगार दिया गया है|

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

- लागू- 2 फरवरी 2019
- नये प्रावधान- 1 जनवरी 2022 से
- उद्देश्य- राज्य में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना।
- **बेरोजगारी भत्ता-**
  - पुरुषों को- ₹4000 प्रतिमाह
  - महिला, ट्रांसजेण्डर, विशेष योग्यजन को: ₹4500 प्रतिमाह
  - अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार प्राप्त करने तक।
- **योग्यता-**
  - स्नातक बेरोजगार
  - कम से कम तीन माह कौशल प्रशिक्षण
  - प्रतिदिन 3 घण्टे राजकीय विभागों में इन्टर्नशिप

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला योजना)

RAJKviK रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम

- पूर्वनाम- रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)
- युवाओं के लिये रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- मॉडल: Recruit - Train - Deploy (भर्ती - प्रशिक्षण - नियोजन) को अपनाया ताकि प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।
- अल्पकालिक प्रशिक्षण - 3 से 6 माह का।
- री-स्किलिंग / अप-स्किलिंग - स्कूल छोड़ चुके युवाओं के लिये विशेष पाठ्यक्रम।

SAKSHAM (सक्षम) स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान

- युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण।
- स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

समर्थ-

- रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इसमें निम्नलिखित वंचित वर्ग शामिल है- (i) SC (ii) ST (iii) भिखारी (iv) कैदी (v) नारी निकेतन (vi) बालगृह (vii) कच्ची बस्ती (viii) सबसे कमजोर वर्ग आदि।

भोर कार्यक्रम (Orientation-भिक्षुक & Rehabilitation)

- भिखारियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है।
- उपर्युक्त योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आती है।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)

- 7 नवम्बर, 2019 को शुरू
- संचालन- RSLDC + कॉलेज शिक्षा विभाग
- **उद्देश्य-**

  (i) शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना।

  (ii) कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना।

  (iii) प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना।

- **पाठ्यक्रम-**

  (i) डोमेन स्किल व सॉफ्ट स्किल / लाइफ स्किल

  (ii) 45 विशेष प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम

  (iii) अधिकतम अवधि 380 घण्टे

  (iv) 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल

मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना (MNSKSY)

- शुरुआत- 18 दिसम्बर, 2019, पुराना नाम- इंदिरा महिला शक्ति (IM शक्ति) था।
- RSLDC + महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित।
- प्रावधान:

  (i) Skill ट्रेनिंग

  (ii) आर्थिक अवसरों को उपलब्ध कराना।

राजस्थान गेस्ट हाउस योजना, 2021

- 16 मार्च 2021, वर्तमान में 7 जुलाई 2026 को इसमें संशोधन कर दिया गया।
- पहला संशोधन: न्यूनतम कमरों की संख्या 6 के स्थान पर 5 तथा अधिकतम कमरों की संख्या 20 के स्थान पर 8 कर दी गयी है।
- दूसरा: गेस्ट हाउस का संचालन सम्पत्ति मालिक के स्थान पर केयर टेकर द्वारा संचालित किया जायेगा।
- तीसरा: प्रॉपर्टी ऑनर के रहने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी।
- इसके अलावा 15 दिन में अस्थायी रजिस्ट्रेशन वह भी ऑनलाइन कर दिया गया।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना - 2022

- 30 नवम्बर 2022
- लाभ :-
  (i) भू-रूपान्तरण शुल्क में 100% छूट।
  (ii) स्टाम्प शुल्क में 25% जमा कराना होगा जो Unit के प्रारम्भ होने पर रिटर्न भरने पर वापस कर दिया जायेगा।
  (iii) SGST का 100% प्रतिपूर्ति (10 वर्ष तक)
  (iv) वन विभाग की जमीन पर किराये पर संचालन किया जा सकेगा।
- * वर्ष 2025 में राज्य स्तरीय 103 मेलों, उत्सवों का आयोजन जैसे- ऊंट महोत्सव = बाड़मेर।

सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजना

- प्रारम्भ- 1 अप्रैल 2016, इसमें लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन की यात्रा। इसमें लेह से 10 km दूर स्थित सिंधु नदी का दर्शन कराया जाता है। इसके पश्चात् शेयपैलेस, नुब्रा घाटी, पैंगोंग त्सो झील वैकल्पिक दर्शन है।
- यात्रा खर्च का 50% / अधिकतम ₹15,000/- प्रति तीर्थयात्री राज्य सरकार देगी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान)

- 2000 Unit / माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली।
- 2000 Unit से अधिक पर ₹1000 / माह का अनुदान जो अधिकतम ₹12,000 वार्षिक होगा।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान)

- 100 यूनिट/माह: पूर्णतः मुफ्त (निःशुल्क)
- 100 यूनिट/माह से अधिक (100 unit / month – free)
- 101 से 200 यूनिट तक विद्युत शुल्क, फिक्स शुल्क व नगरीय उपकर की बिल में छूट। जबकि 101 से 200 यूनिट का पर यूनिट विद्युत खर्च व अन्य शुल्क तथा बिल आएगा।
- 200 यूनिट से अधिक: पहली 100 यूनिट मुफ्त लेकिन अन्य शुल्क / कर उपभोक्ता द्वारा देय।
- 13 अक्टूबर, 2025 से घरों में PM सूर्य घर योजना के अन्तर्गत सोलर पैनल लगाने पर 150 यूनिट फ्री बिजली दी जायेगी (CM द्वारा घोषणा)

CMREGS - मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

- शुरू: 2022-23 में राजस्थान सरकार द्वारा। राज्य के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के 100 दिन के रोजगार के अलावा 25 दिन प्रति परिवार का अतिरिक्त रोजगार दिया जाने का प्रावधान किया गया।
- सहरिया, कथौड़ी, खैरवा परिवारों व दिव्यांग को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान।
- राज्य के 47 ब्लॉकों के ST परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त काम / रोजगार का प्रावधान।

MP-LAD - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना/कार्यक्रम

- प्रारम्भ: 1993-94, 100% केन्द्र द्वारा प्रायोजित।
- मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- 5 करोड़ रु / वर्ष प्रतिवर्ष सांसद द्वारा जिला कलेक्टर को अनुशंसा (खर्च) निर्माण के लिये दिये जायेंगे।
  - लोकसभा सदस्य: स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में
  - राज्यसभा सदस्य: जिस राज्य से वह सांसद है
  - मनोनीत सदस्य: पूरे भारत क्षेत्र में
- 45 दिन में सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिला कलेक्टर कार्यों को स्वीकृति प्रदान करेगा।
- SC के लिये 15% व ST के लिये 7.5% खर्च करना।
- प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में भारत में कहीं भी खर्च कर सकते है।
- 25 लाख रुपये कहीं भी सांस्कृतिक विकास के लिये।

MLA-LAD - विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- प्रारम्भ: 1999-2000 में
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित।
- प्रत्येक वित्त वर्ष में विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया।
- (पहले - 2.25 Cr, 2021-22 से पहले)
- SC / ST पर कम से कम 20% खर्च करना अनिवार्य।
- सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिये / सरकारी परिसम्पतियों की मरम्मत व नवीनीकरण।
- 30 दिन में स्वीकृति।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

- शुरुआत: 11 Oct. 2014 को
- उद्देश्य: चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना तथा सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार करना।
- प्रत्येक सांसद 2014-19 तक 3 गाँवों को तथा 2019 से प्रति वर्ष एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगा।
- गांव का चयन सांसदों द्वारा किया जाता है।
- गांव चयनित करने का आधार:
  - मैदानी क्षेत्र में 5000 से अधिक जनसंख्या
  - पर्वतीय क्षेत्र में 3000 से अधिक जनसंख्या
  - गांव स्वयं या पति/पत्नी का नहीं होना चाहिये।

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- घोषणा: 2025-26 में, शत-प्रतिशत राज्य द्वारा संचालित।
- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से (पाकिस्तान) लगे 5 जिलें: (i) श्रीगंगानगर (ii) बीकानेर (iii) फलौदी (iv) जैसलमेर (v) बाड़मेर
- उपर्युक्त जिलों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार व आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चलाया जा रहा है।

महात्मा गांधी ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना

- पुराना नाम: गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना - 2014
- शुरुआत: Feb. 2020
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजना।
- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिये जन-भागीदारी सुनिश्चित करना।

निर्माण कार्य	राज्य सरकार	जनसहभागिता
(i) सामान्य क्षेत्र में	70%	30%
(ii) SC/ST क्षेत्र में	80%	20%
(iii) व्यक्तिगत नामकरण	49%	51%
(iv) शमशान / कब्रिस्तान	90%	10%

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना - 2021-22 :-

- शुरुआत: 2021-22 में। 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित।
- दोनों - शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ प्रतिवर्ष उन कार्यों पर जिलाधीश खर्च कर सकेंगे जिन्हें वे जन-आकांक्षाओं के अनुरूप माने।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना (SPMJUY)

- शुरुआत: 2024-25
- 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित।
- उद्देश्य: जिले की आवश्यकताओं को पूरा कर आर्थिक विकास एवं समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में चलायी जा रही है।
- जिले के चहुमुखी व समावेशी विकास के लिये यह शिक्षा, पर्यटन, MSME, खेल क्षेत्रों में केन्द्रित है।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना :-

- 2025-26 में प्रारम्भ।
- उद्देश्य: गरीबी मुक्त राजस्थान का निर्माण करना।
- शुरुआत: 2 July 2025 से।
- 2025-26 से यह योजना उन परिवारों हेतु लागू की जो BPL सेन्सस 2002 के अनुसार 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये चलायी गयी।
- इस हेतु यह योजना तीन चरणों में चलायी जा रही है-
  - प्रथम चरण (2025-26): 5000 गांवों में
  - द्वितीय चरण (2026-27): 5000 गांवों में
  - तृतीय चरण (2027-28): 10,000 गांवों में
- कार्य:
- आजीविका सृजन एवं स्वरोजगार,
- महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

- पूर्व नाम: इन्दिरा रसोई योजना (10 Sep. 2023 को शुरू)
- 6 जनवरी, 2024 को इसका नाम परिवर्तित।
- इस योजना में लाभार्थी से 8 रुपये / थाली और राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान अर्थात 30 क राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह को एक थाली के 30 देते हैं।
- उद्देश्य: ग्रामीण कस्बों में किफायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना।
- मूलमंत्र: सबको भोजन, सबको सम्मान।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)

- 15 Dec. 2016 में श्री अन्नपूर्णा रसोई (नाश्ता) योजना के नाम से शुरू हुआ जिसमें नाश्ता करवाया जाता था।
- गहलोत सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया जिसमें भरपेट भोजन कराया जाता है।
- 6 Jan. 2024 को इसका नाम पुनः बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया।
- इस योजना का मूलमंत्र: लक्ष्य अन्त्योदय - प्रण अन्त्योदय - पथ अन्त्योदय।

कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना

- 2019-20 में प्रारम्भ। राजस्थान सरकार द्वारा प्रवर्तित।
- ड्राप आउट गर्ल्स एवं महिलाओं को 10 वीं व 12 वीं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन।
- इसमें स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवायी जाती है तथा समस्त शुल्क सरकार देती है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

- प्रारम्भ: 18 Dec. 2019 को इन्दिरा महिला शक्ति के नाम से। इस योजना में व्यक्तिगत व SHGs को पहले 50 लाख और क्लस्टर व फेडरेशन को 1 करोड़ का तथा 2026-27 से 1 करोड़ का ऋण दिया जाता है।
- उद्देश्य: नया स्वयं का उद्यम प्रारम्भ करना।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

- 18 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ।
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित।
- उद्देश्य: महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम :- (निःशुल्क)

कोर्स	योग्यता	आयु सीमा
(i) RS-CIT	10 वीं पास	18-40 वर्ष
(ii) RS-CFA	12 वीं पास	18-45 वर्ष
(iii) RS-CSEP	12 वीं पास	18-45 वर्ष

- इन प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता वर्द्धन।
- Note:
  - RS-CFA: राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट फाइनेन्सियल अकाउन्टेसी
  - RS-CSEP: राज. स्टेट सर्टिफिकेट स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनेलिटी

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क योजना

- 2022-23 में प्रारम्भ। शादी या अन्य कारणों से महिलाओं के माइग्रेट होने पर वर्क फ्रॉम होम योजना प्रारम्भ की गयी।
- अनेक NGOS के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- इसमें डिजाइनिंग, परामर्श, GST फाइलिंग, शिक्षण, चिकित्सा परामर्श, पैकेजिंग इत्यादि कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना

- 1 जनवरी 2024 को प्रारम्भ। इसके तहत केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना और BPL परिवारों को ₹450/- में सिलेण्डर देने का प्रावधान है। इसमें 1 वर्ष में 12 सिलेण्डर दिये जायेंगे।
- ये सिलेण्डर NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) के पात्र परिवारों को भी सितम्बर, 2024 से 450/- LPG सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना

- 13 जुलाई 2021 को प्रारम्भ।
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित।
- उद्देश्य - दहेज प्रथा को समाप्त करना और शादी पर होने वाले व्यय को कम करना।
- सरकार द्वारा वधू को - 21,000/-
- आयोजकों को - 4,000/-
- कुल - 25,000/-
- 25 से अधिक जोड़े होने पर आयोजक संस्था को 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

कालीबाई भील उड़ान योजना :-

- नाम परिवर्तित - 7 जनवरी 2025
- 19 दिसम्बर, 2021 (IM शक्ति उड़ान योजना)
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित।
- राजस्थान की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है।
- प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क।

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना (2025-26)

- गर्भवती व धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य व कुपोषण को दूर करने हेतु खजूर, घी, मूंगफली, भुने चने (भुगंड़े), गुड़, मखाना आदि खाद्य पदार्थ प्रदान किये जाते हैं।

पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना

- प्रारम्भ - 1 जनवरी 2025, **पुराना नाम - IM शक्ति सुरक्षा सम्मान योजना (18 Dec. 2021 को प्रारम्भ)**
- नाम परिवर्तित - 1 जनवरी 2025 को
- पुरस्कार की 4 श्रेणियां –

(i) व्यक्ति (नेशनल / इंटरनेशनल लेवल) (ii) संस्था
(iii) एजेण्ट (iv) कॉर्पोरेट / डोनर

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

- 1 अप्रैल 2023 से शुरू। इसमें विधवा परित्यक्ता व तलाकशुदा महिला को 75 वर्ष से कम होने पर 27 फरवरी, 2026 से 150 रु अतिरिक्त अर्थात 1450 रु प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है
- 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना

- 19 नवम्बर, 2020 से शुरू। यह पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां में शुरू की गयी तथा 2022-23 से यह सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हुयी।
- इसमें दूसरी संतान के जन्म पर 6000/- पोषण सहायता के लिये (किश्तों में) दिये जाते हैं।
- उद्देश्य - गर्भवती महिला, धात्री माताओं तथा 0-3 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना।

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना (आंगनबाड़ी दूध वितरण योजना)

- 14 दिसम्बर, 2024 से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में लागू।
- 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को कम करना इसका उद्देश्य है।
- इसके अन्तर्गत स्किम्ड मिल्क पाउडर से बना दूध सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध कराया जायेगा (प्रतिदिन 100 ml दूध दिया जायेगा)।
- दूध पाउडर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन देता है।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

- 29 नवम्बर, 2022 को शुरू। राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित।
- प्राइमरी से 5 वीं कक्षा तक के विद्यार्थी को 15 ग्राम दूध पाउडर (150 मिलीलीटर दूध) तथा 8.4 ग्राम चीनी प्रतिदिन।
- 6 वीं से 8 वीं तक के विद्यार्थी को 20 ग्राम दूध पाउडर (200 ML दूध) तथा 10.2 ग्राम चीनी प्रतिदिन।
- सप्ताह में 6 days दूध उपलब्ध (RCDF द्वारा)।
- राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रु प्रति Kg की दर से मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है।

पालनहार योजना

- यह राजस्थान सरकार की नकद लाभ हस्तांतरण योजना है।
- पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित।

आयु वर्ग	विशेष श्रेणी (अनाथ, माता-पिता या दोनों को जेल, HIV, कुष्ठ, दिव्यांग विधवा माता-पिता का दूसरा विवाह)	सामान्य श्रेणी अन्य श्रेणी - बच्चा गुम जाये या छोड़ दिया जाये
0 - 6 year (आंगन-बाड़ी जाने वाले)	1500/- माह	750/- माह
6 - 18 year (स्कूल जाने वाले)	2500/- माह	1500/- माह

- कपड़े व अन्य आवश्यकताओं के लिये 2000/- की राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

- 5 जून, 2021 को शुरू।
- पात्र SC / ST / OBC / Minority / दिव्यांग परिवारों के वे student जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो तथा P-level-11 (4200 ग्रेड तक) के अभिभावक।
- चयन मेरिट का निर्धारण 10वीं/12वीं के अंकों के आधार पर।
- इसमें 50% छात्रायें।
- अन्य शहर में जाकर पढ़ने पर 40,000/- आवास हेतु।
  i) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ
  ii) आवासीय विद्यालय
  iii) छात्रावास सुविधा

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना

- 19 फरवरी, 2024 को शुरू। यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना (01 मई 2021) का नया नाम है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र व्यक्ति, SECC के अन्त्योदय परिवार, SMFS (लघु सीमान्त किसान), कोविड अनुग्रह प्राप्त, संविदा कार्मिक को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है बाकी आबादी को 850 रुपये / वर्ष प्रतिपरिवार भुगतान करना होगा।
- शेष प्रीमियम राशि 1118 रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रतिपरिवार कुल प्रीमियम राशि (1968) है।
- Note- नये चरण में प्रति परिवार प्रति वर्ष 2370 प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है।
- इस योजना में कुल 2173 पैकेजेज शामिल हैं-
  - बीमा कम्पनी द्वारा बीमा मोड पर - 2002 पैकेज
  - ट्रस्ट मोड पर - 171 पैकेज
- अप्रैल 2025 को राज्य में इन बाउन्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गयी जिसके माध्यम से अन्य राज्य के लाभार्थियों को आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- राज्य के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में Dec. 2025 से आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गयी है, जिसके माध्यम से CM आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- बूढ़े व्यक्तियों (जेरियाट्रिक), आयुष, विभिन्न सर्जरियों व मानसिक रोगी के देखभाल से संबंधित 132 नये पैकेज शामिल।
- वर्तमान में इस योजना में 1.36 Cr परिवार पंजीकृत हैं।
- निजी (लिस्टेड व कुछ Non listed hospital) व सरकारी अस्पतालों में पैकेज उपलब्ध।
- इसमें कैशलेस उपचार की सीमा 25 लाख।
- 24 घण्टे से अधिक भर्ती रहने पर लाभ मिलता है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

- 11 मार्च, 2024 को शुरू (नाम परिवर्तन)
- पुराना नाम - मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (1 मई 2022)
- 7 प्रकार की दुर्घटना मृत्यु पर-

- 1 व्यक्ति की मृत्यु - 5 लाख
- 1 से अधिक की मृत्यु - 10 लाख
- स्थायी विकलांगता (1 अंग) - 1.5 लाख
- 2 या 2 से अधिक अंग - 3 लाख

- बीमा का 60 दिन के भीतर दावा करना होगा।

मुख्यमंत्री निः शुल्क निरोगी राजस्थान योजना

- 1 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना (2 अक्टूम्बर 2010) तथा मुख्यमंत्री निः शुल्क जांच योजना (7 अप्रैल 2013) को मिलाकर यह योजना चलायी गयी।
- इसमें दवा - 1238, सर्जिकल वस्तुयें - 428, सूचर्स – 156
- सूचर्स - 156
- 1822 सेवायें सभी को दी जाती है।
- OPD (Outdoor Patient Department) हो या IPD पूर्णतः निःशुल्क सेवायें सभी को दी जाती हैं।
- OPD (Outdoor Patient Department) हो या IPD पूर्णतः निःशुल्क।

मुख्यमंत्री बाल संबल योजना

- 13 दिसम्बर, 2024 को शुरू।
- 56 प्रकार की (बच्चों की) दुर्लभ बीमारियों का इलाज दो जगह (i) JK Loan हॉस्पिटल जयपुर (ii) AIIMS जोधपुर में किया जाता है तथा 5000/- माह की दवाई निः शुल्क दी जाती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना

- 8 मार्च, 2024 को शुरू।
- फलौदी, बारां, भरतपुर (सितम्बर, 2024 से सम्पूर्ण राजस्थान में) में शुरू।
- 1462 प्राइवेट सोनोग्राफी की दुकानों पर फ्री में गर्भवती महिलाओं की हर माह की 9 / 18 / 27 तारीख को सोनोग्राफी की जाती है।
- मोबाइल पर आये QR कोड को सेन्टर पर दिखाना होता है।



राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ

कृषि क्षेत्र - यह प्रमुख क्षेत्र है इसके चार उपक्षेत्र है

- (1) फसलें (2) पशुपालन (3) वानिकी (4) मत्स्यपालन

(क) कृषि नीति :- राजस्थान सरकार की पहली कृषि नीति 2013 में घोषित की गई।

(1) फसलें (कृषि) क्षेत्र की नीतियाँ

मुख्य उद्देश्य

- शुष्क क्षेत्र में कृषि - विकास
- सिचाई (जल) के उपयोग में दक्षता (कम पानी से अधिक सिंचाई अर्थात् बिना बर्बादी के जल का उपयोग) में सुधार
- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीति
- फसल उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उत्पादन) को बढ़ाना।
- खाद्य व पोषण सुरक्षा सभी के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय तथा पशुओं के लिए चारे की मांग को पूरा करना।
- यह केवल साक्षात्कार हेतु बिंदु सहित याद करना।
- वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सन याद रखनी है।

(ख) पहली जैविक कृषि नीति - 2017

- कोटा में सम्पन्न GRAM (ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट) में यह नीति मई 2017 में घोषित की गई थी।
- सिक्किम राज्य की तर्ज पर यह नीति तैयार की गई।
- इसमें वृहद, मध्यम, लघु तीन भागों में लक्ष्य तैयार किए गया।

मुख्य बिंदु

- जैविक बीज व पौध सामग्री तैयार करना।
- रासायनिक उर्वरक - कीटनाशक - पीडकनाशको के उपयोग को नियन्त्रित करना।
- जैविक उत्पादो के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण, इन उत्पादो को प्रोत्साहन देना।
- जैविक उत्पादो के उत्पादन हेतु आधारभूत ढाँचा, भण्डार प्रदर्शन, पैकिजिग व प्रोद्योगिकी व विपणन की युनिटस की स्थान करना।
- इस हेतु विभागो - कृषि – उद्यानिकी — पशुपालन, कृषि विपणन — वन विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को एकीकृत बनाना।

(ग) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात संवर्धन नीति 2019

- यह 17 दिसम्बर 2019 को जारी की गई।
- बाद में 26 मई 2022 की इसमें संशोधन किए गए।
- उद्देश्य :- राजस्थान को प्रसंस्कृत (Processed) कृषि उत्पादो का उत्पादन व आपूर्ति केन्द्र बनाना तथा निवेशको, प्रसंस्करण कर्ताओ और निर्यातको हेतु प्रथम वरीयता केन्द्र बनाना ।
- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करना ।
- (2) किसान व उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना।
- मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करके किसानो की आय बढ़ाना ।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास कर रोजगार सृजन
- मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना।
- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलो (जैसे- जीरा, धनियाँ, सौंफ अजवायन, ज्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि के मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देना।

वित्तीय प्रावधान

- SC/ST के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली परियोजनाओं / SC, ST किसानो उनके संगठनो का 75 प्रतिशत अनुदान व अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम 150 लाख (पूंजीगत लागत का)
- केन्द्र सरकार द्वारा लागत का 10% जो 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान
- टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
- राज्य के बागवानी उत्पादो को अन्य राज्यों के बाजारो में ले जाने पर 300 km से अधिक परिवहन पर 3 साल की अवधि तक 10 लाख रुपए / प्रतिवर्ष अनुदान जैविक उत्पादो के लिए 15 लाख रूपए / वर्ष अनुदान 5 साल की अवधि के लिए।
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद निर्यात पर 5 वर्ष के लिए 20 लाख तक अनुदान देय है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2024 (RIPS 2024)

- 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च।
- उद्देश्य: राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना।
- योजना विनिर्माण, सेवाएँ, MSME, स्टार्ट-अप, R&D, GCC, औद्योगिक अवसंरचना और निर्यात संवर्द्धन पर केंद्रित
- औद्योगिक विकास में नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को प्रोत्साहन |
- दिसम्बर 2024 तक 410 इकाइयों को पात्रता जारी ।
- निवेश प्रोत्साहन: विनिर्माण में ₹50 करोड़ + और सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ + (पर्यटन ₹10 करोड़ +) निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी ।
- वैकल्पिक रूप से वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पूंजीगत सब्सिडी या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
- अतिरिक्त प्रोत्साहन: नियोक्ता बूस्टर (10–15%), थ्रस्ट बूस्टर (10%), एंकर बूस्टर (20%)।
- मुख्य छूटें: 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी / बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति ।
- पहली बार निवेश संवर्द्धन नीति 2003 में राज्य में लागू की गई।
- 2024 से पहले 2022 में नीति लागू की गई थी।
- RIPS 2024-31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, 2025

- जारी 31 मार्च 2025 जो 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी।
- उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स अवसंरचना सुदृढ़ करना, लागत कम करना और निजी निवेश आकर्षित करना।
- साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि परियोजनाओं हेतु पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान (10 वर्षों में; अधिकतम ₹5-50 करोड़ प्रति वर्ष)।
- परियोजनाओं के लिए 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान (अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष)।
- श्रमिक प्रशिक्षण हेतु 6 माह तक प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम ₹4,000 प्रति माह प्रति श्रमिक) प्रतिपूर्ति।
- स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% प्रतिपूर्ति, साथ ही 7 वर्षों तक विद्युत व मण्डी शुल्क में 100% छूट।
- प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु ट्रैकिंग उपकरण, लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर, फायर डिटेक्शन सिस्टम और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर विभिन्न प्रतिपूर्ति / ग्रीन प्रोत्साहन।
- सभी प्रोत्साहन RIPS-2024 के प्रावधानों के अनुरूप ।

राजस्थान डेटा सेंटर नीति, 2025

- 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित; उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना।
- क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई-गवर्नेंस, AI, बिग डेटा और डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा ।
- उद्यमों को निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन में से विकल्प; प्रथम तीन मेगा/ अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष सनराइज प्रोत्साहन ।

- भवन मानदंडों में लचीलापन —– उच्च FAR, फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयाँ, मल्टी-लेवल DG स्टैकिंग व आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र।
- डेटा सेंटर को ESMA के अंतर्गत आवश्यक सेवा घोषित; 24x7 संचालन व सुरक्षा नियमों के तहत सभी पारियों में महिलाओं के नियोजन की अनुमति; श्रम कानूनों हेतु Self-Certification सुविधा।
- नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण व ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन तथा टियर-2 और टियर - 3 शहरों में डेटा सेंटर विकास को प्राथमिकता ।
- यह 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी।

राजस्थान एम. एस. एम. ई. नीति 2024

- यह नीति 8 दिसंबर 2024 से लागू हुई और 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- उद्देश्य : MSME क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढीकरण को बढ़ावा देना।
- इसका लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासं गिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना है। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक "वन स्टॉप शॉप" समाधान के रूप में तैयार किया गया है।
- पहली MSME पॉलिसी 2015 में लागू हुई थी।

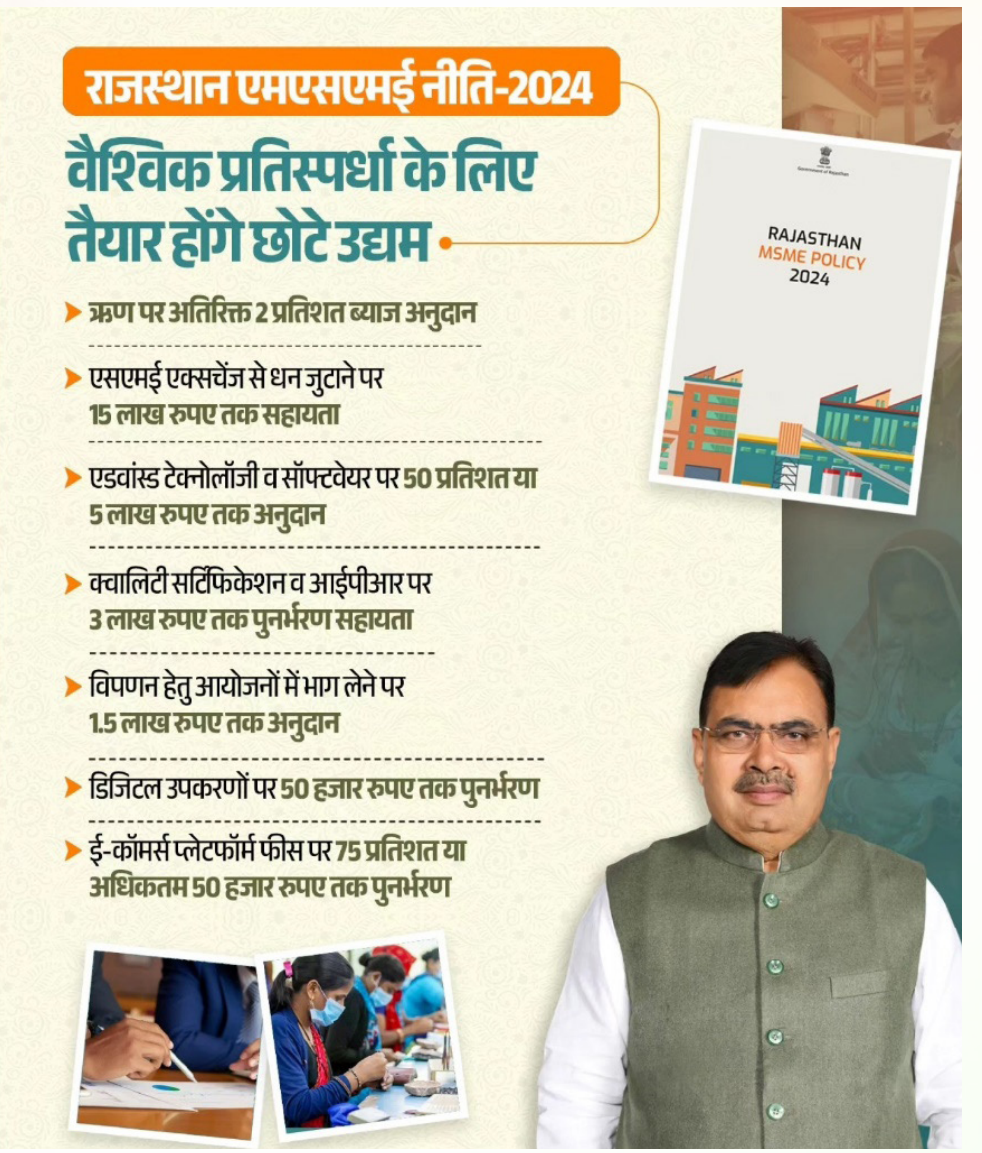

मुख्य प्रावधान

- नई MSME की स्थापना और मौजूदा MSME इकाइयों के विस्तार के लिए, RIPS-2024 के तहत ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- चयनित इकाइयों के लिए 2% तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
- लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा NSE /BSE एक्सचेंज प्लेट फॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (5 लाख रुपये तक) राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50% (अधिकतम 3 लाख रुपये) की सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय हेतु 75% सहायता (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) प्रदान की जाएगी।
- उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75% (अधि- कतम 50,000 रुपये) प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- ई-कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50,000 रुपये) प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन - नीति 2024

- उद्देश्य: सतत व समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा; विशेष ध्यान SME, स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात विविधीकरण पर।
- निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता: वार्षिक लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख)।
- विपणन सहायता: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में व्यय का 75% प्रतिपूर्ति व अधिकतम ₹3 लाख यात्रा सहायता (दो वर्ष में एक बार)।
- उत्पाद परीक्षण प्रोत्साहन: व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹20,000 प्रति शिपमेंट, ₹3 लाख प्रति वर्ष) ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: आधुनिक तकनीक पर व्यय का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50 लाख)। ई-कॉमर्स सहायता: प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख)।



- निर्यात ऋण बीमा: ECGC प्रीमियम का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख प्रति वर्ष)।

- अतिरिक्त प्रोत्साहन: पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा लागत पर 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख)।

राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024

- 8 दिसंबर 2024 को घोषित।
- उद्देश्य: प्रत्येक जिले के निर्यात क्षमता वाले उत्पादों / सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और जिलों को संभावित निर्यात केंद्र बनाना।
- मुख्य उपाय: नए उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी अपनाने, गुणवत्ता प्रमाणन, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता और ई-कॉमर्स को बढ़ावा।
- ODOP में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- लक्ष्य: मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

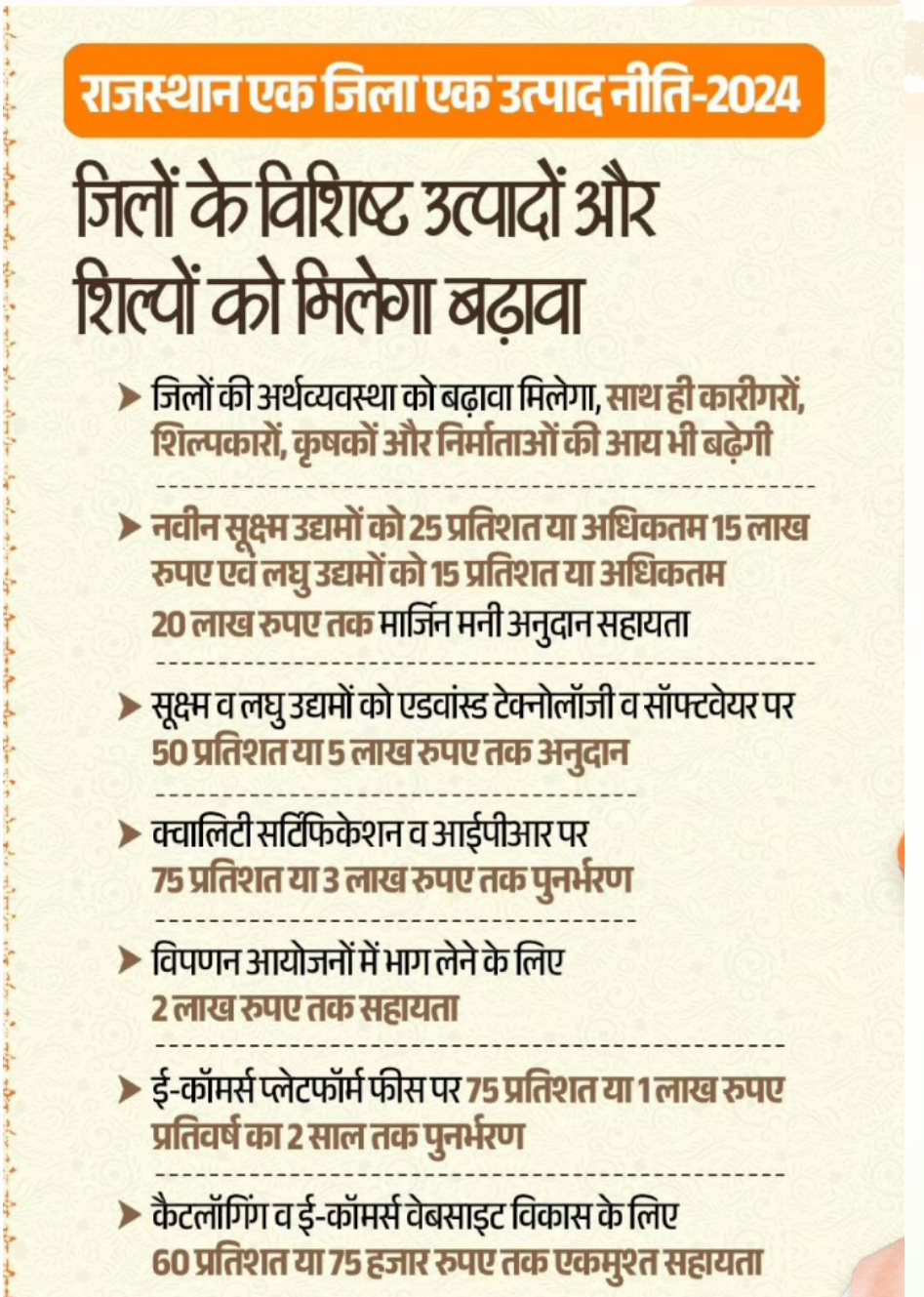

क्र.	जिला	ODOP उत्पाद का नाम	क्र.	जिला	ODOP उत्पाद का नाम
1.	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद	2.	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3.	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद	4.	बाड़मेर	कशीदाकारी
5.	बांसवाड़ा	मार्बल उत्पाद	6.	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्स्पार पाउडर
7.	बारां	लहसुन उत्पाद	8.	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9.	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद	10.	जोधपुर	लकड़ी के उत्पाद
11.	टोंक	सैंडस्टोन उत्पाद	12.	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
13.	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन	14.	खैरथल - तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
15.	बूंदी	सैंडस्टोन	16.	कोटा	कोटा डोरिया
17.	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद	18.	कोटपूतली - बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
19.	चूरू	लकड़ी के फर्नीचर उत्पा	20.	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
21.	दोसा	पत्थर आधारित उत्पाद	22.	पाली	वस्त्र उत्पाद
23.	डीडवाना - कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद	24.	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
25.	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद	26.	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
27.	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद	28.	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
29.	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद	30.	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
31.	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद	32.	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
33.	जयपुर	रत्न एवं आभूषण	34.	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
35.	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद	36.	सिरोही	मार्बल उत्पाद
37.	जालोर	ग्रेनाइट उत्पाद	38.	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
39.	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद	40.	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41.	झुझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद			

राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति, 2025

- 7 दिसम्बर 2025 से लागू।
- उद्देश्यः सूक्ष्म व्यापार उद्यमों व छोटे व्यापारियों को संस्थागत ऋण, बाजार पहुंच और निवेश अवसर देना।
- ब्याज अनुदानः ₹1 करोड़ तक ऋण पर 6%, तथा ₹1-2 करोड़ ऋण पर 4% ब्याज अनुदान।
- क्रेडिट गारंटी सहायताः CGTMSE के तहत ₹5 करोड़ तक ऋण पर गारंटी शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति (5 वर्ष)।
- बीमा प्रीमियम प्रतिपूर्तिः सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को 50% (अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष) पाँच वर्षों तक।
- ई-कॉमर्स प्रोत्साहन : प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000 प्रति वर्ष, 1 वर्ष)।
- विशेष श्रेणी लाभः महिला, SC, ST और दिव्यांग स्वामित्व वाले उद्यमों को ₹1-2 करोड़ ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, 2025

- 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित
- उद्देश्यः राजस्थान को वस्त्र एवं परिधान उद्योग का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना ।
- निवेश प्रोत्साहन : 10 वर्षों तक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन)।
- मेगा परियोजना लाभः मेगा / अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट व राज्य कर / वैट प्रतिपूर्ति।
- भूमि व कर रियायतें स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में 75% छूट व 25% प्रतिपूर्ति; भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी वही प्रावधान।
- ऊर्जा प्रोत्साहन : 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट।
- पर्यावरणीय प्रोत्साहनः पर्यावरणीय परियोजनाओं पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़)।
- फ्रेट सब्सिडीः ICD/ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से निर्यात पर मालभाड़ा लागत का 25% (अधिकतम ₹25 लाख) प्रतिपूर्ति।
- कौशल विकास व IPR सहायताः प्रशिक्षण व्यय और पेटेंट/कॉपीराइट पंजीकरण व्यय का 50% प्रतिपूर्ति।
- सभी वित्तीय प्रोत्साहन RIPS-2024 के अनुरूप।
- यह 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

प्रवासी राजस्थानी नीति, 2025

- यह नीति 10 दिसम्बर 2025 को जारी की गई। इसका उद्देश्य विश्वभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।
- नीति का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानियों को निवेश, व्यापार, नवाचार और सामाजिक विकास से जोड़कर राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- नीति के पाँच प्रमुख स्तंभः Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive and Ensure.
- इसकी समाप्ति की तिथी निश्चित नहीं है, हॉ लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2030 रखा गया है।

राजस्थान खनिज नीति, 2024

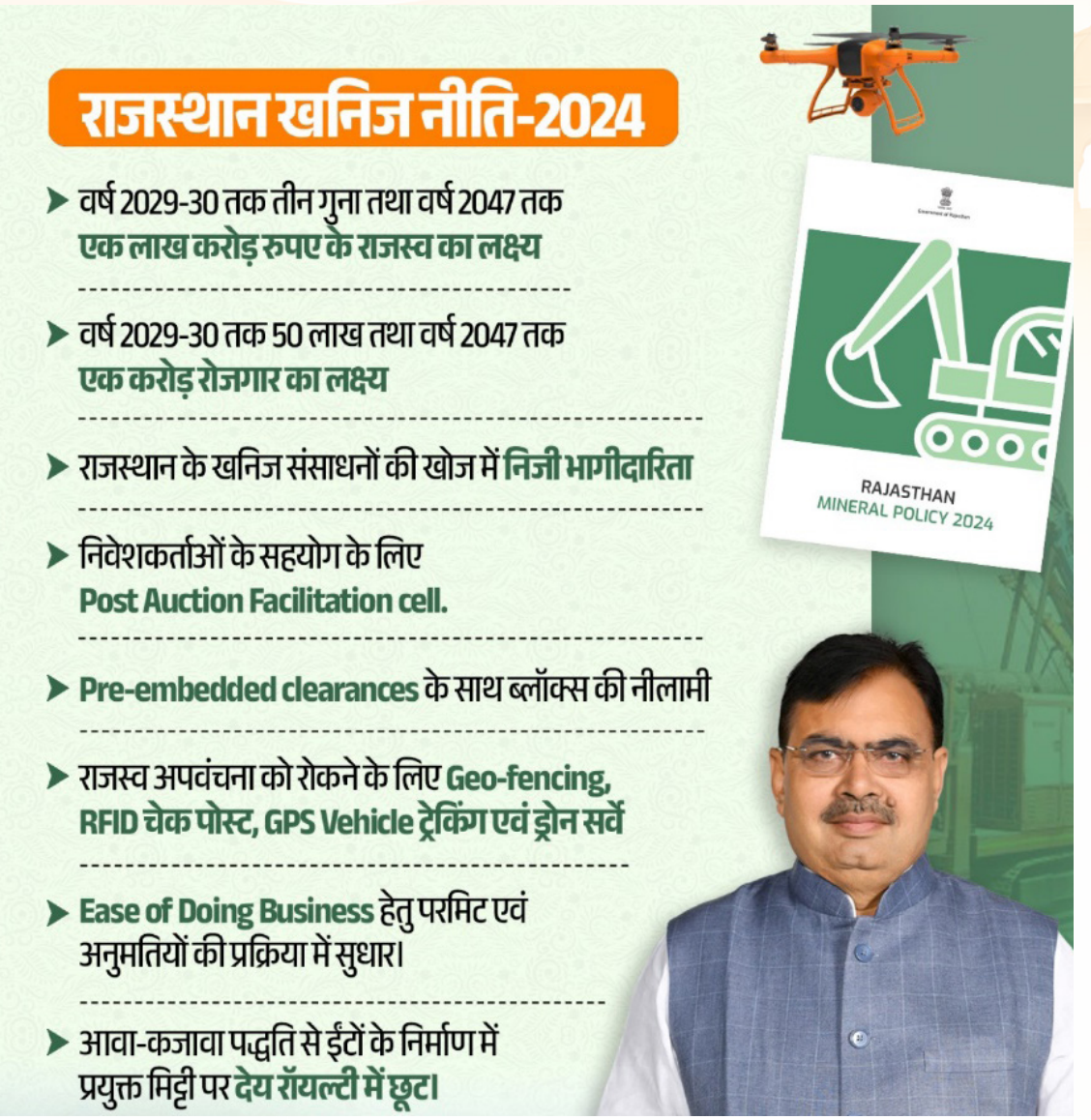

- उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और पारदर्शी खनिज विकास को बढ़ावा देना। पहली खनिज नीति राज्य के 1978 में घोषित की गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ

- खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित करना और राज्य के जीएसडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना।
- शून्य - अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- उन्नत अन्वेषण तकनीकों और एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो- फेंसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
- मौजूदा 0.68% खनिज रियायत क्षेत्र को 2029-30 तक 1.0% और 2046-47 तक 2.0% तक विस्तारित करना

- वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है जिसे 2047 तक 70 करना।
- प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का वर्तमान योगदान 3.4 % है जिसे बढ़ाकर 2029 – 30 तक 5 % और 2046 – 47 तक 8 % करना।
- राज्य के राजस्व को 2029 – 30 तक 3 गुना एवं 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना।
- 2029 – 30 तक 50 लाख एवं 2047 तक 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य।
- खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- निवेशकर्ताओं के लिए Post Auction Facilitation Cell की स्थापना।
- केंद्र सरकार के साथ समन्वय में बहुमूल्य, रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और नीलामी पर जोर।
- आवेदकों और रियायतग्राहियों को वन भूमि के परिवर्तन में सहायता करने के लिए क्षेत्रों को "भूमि बैंक" के रूप में नामित करना, खनिज रियायतों का समय पर संचालन सुनिश्चित करना।
- विनियामक और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान करके और अनुमोदन के लिए समय कम करके व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।
- नीलामी के लिए अधिक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) ब्लॉक बनाने में केंद्र सरकार की सहायता करना।

Note – इस से पहले की राज्य की खनिज नीतियाँ

- 1978
- 1991
- 1994
- 2011
- 04 जून 2015

राजस्थान सिटी गैस वितरण (CGD) नीति, 2025

- यह नीति 16 जुलाई 2025 को जारी की गई।
- उद्देश्य: गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना व स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाना।
- इसके तहत गैस पाइपलाइन अवसंरचना को मजबूत करना तथा CGD नेटवर्क का विस्तार किया होगा। इसके माध्यम से घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

राजस्थान एम- सैंड नीति 2024

- उद्देश्य: निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (M- सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना।

मुख्य विशेषताएं	M-सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन
▪ यह नीति प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, नियमों को आसान बनाकर और वित्तीय प्रोत्साहन देकर M-सैंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ▪ गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय-समय पर अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान है।	▪ वित्तीय लाभ: रॉयल्टी में छूट (50%) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत। ▪ निवेश सब्सिडी: 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति।

▪ अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता हेतु जल पुनः उपयोग के लिए शून्य-निर्वहन (जीरो-डिस्चार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ▪ सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना (2028-29 तक 50% का लक्ष्य)। ▪ ऑन साइट गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।	▪ बिजली शुल्क छूट: 7 वर्षों के लिए 100% छूट ▪ स्टाम्प शुल्क में कमी: स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट। ▪ रोजगार लाभ: स्थानीय कर्मचारियों के लिए EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50% प्रतिपूर्ति

- प्रथम एम- सैंड नीति-2019 में आई थी।

राजस्थान रोजगार नीति, 2026

मुख्य बिंदु

- यह 12 जून 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर घोषित
- रोजगार चुनौतियों के समाधान हेतु समग्र नीति; राज्य की श्रम बल भागीदारी दर 64.4% और बेरोजगारी दर 4.2%
- विजन: प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य को समावेशी व सतत रोजगार का अग्रणी केंद्र बनाना
- मिशन : स्वरोजगार, वेतन रोजगार व उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना ।
- रणनीतिक स्तम्भ: प्राथमिक क्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान, विनिर्माण व हरित रोजगार बढ़ावा, सेवा क्षेत्र विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुदृढ़ीकरण ।
- कार्यान्वयन तंत्र : EEMS 2.0 (AI आधारित रोजगार पोर्टल)- नौकरी चाहने वालों को सार्वजनिक व निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है; ई-जॉब फेयर व अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट सुविधा।



- क्षेत्रीय फोकस: जिला स्तर पर क्रियान्वयन; TSP क्षेत्रों व आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान।
- डेटा आधारित शासन : रोजगार परिणाम सूचकांक (EOI) के
- माध्यम से निगरानी, उच्चस्तरीय समिति द्वारा पर्यवेक्षण।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति, 2025

- यह नीति 27 नवम्बर 2025 को अधिसूचित की गई।
- उद्देश्य: राजस्थान को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना है।
- GCC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आईटी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, एनालिटिक्स, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार जैसी उच्च मूल्य सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- इसका लक्ष्य नीति के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार, कौशल विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- इस नीति का मूल मंत्र Connect – Collaborate-Contribute है।

राजस्थान कौशल नीति, 2025

- यह नीति 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई।
- उद्देश्य: कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता, आय बढ़ाना।

प्रमुख प्रावधान

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण और विस्तार।
- मॉडल केरियर केन्द्रों की स्थापना ।
- पूर्व शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning) | Recruit-Train-Deploy कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण।
- राजस्थान राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) को सुदृढ़ करना ।
- फिनिशिंग स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

राजस्थान पर्यटन नीति 2025

- पहली पर्यटन नीति 2001 में घोषित की गई।
- राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का शुभारम्भ 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया।
- यह नीति "विकसित राजस्थान@2047" की दीर्घकालिक विकास दृष्टि के अनुरूप तैयार की गई है।
- उद्देश्य: राज्य में आधुनिक, नवाचार आधारित एवं भविष्य उन्मुख पर्यटन विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए होटल, रिसॉर्ट, विरासत संपत्तियों एवं होमस्टे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पर्यटन अवसंरचना को मजबूत एवं विस्तारित किया जाएगा। पारंपरिक पर्यटन के साथ पर्यावरण, ग्रामीण, आदिवासी, साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन को शामिल किया जाएगा।
- रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। निवेशकों हेतु प्रोत्साहन
- पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति तथा सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (प्रचलित RIPS के अनुसार) उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क में छूट (प्रचलित RIPS के अनुसार) प्रदान की जाएगी।

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025

- इस प्रकार की पहली नीति 2022 में घोषित की गई।
- इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। फिल्म निर्माताओं की सहायता हेतु व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख प्रोत्साहन एवं लाभ

- राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल एवं डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग लागत पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा ₹3 करोड़ निर्धारित की गई है।
- वेब सीरीज एवं डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ है।
- टीवी सीरियल के लिए अधिकतम सब्सिडी ₹1.50 करोड़ तक है।

पात्रता शर्तें

- फीचर फिल्मों के लिए राजस्थान में न्यूनतम ₹2 करोड़ खर्च करना आवश्यक है।
- वेब सीरीज एवं टीवी सीरियल के लिए न्यूनतम ₹1 करोड़ खर्च अनिवार्य है।
- डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा निर्धारित नहीं है ।
- सब्सिडी के लिए फिल्म या लघु फिल्म का कम से कम 5% स्क्रीन टाइम राजस्थान में होना चाहिए, अथवा कुल शूटिंग दिनों में से से कम 50% दिन राजस्थान में शूट किए गए हों।
- राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत पात्र हैं।

अतिरिक्त लाभ

- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्थलों पर शूटिंग के लिए 5 दिनों तक 100% लोकेशन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के लिए ₹50 लाख का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (RTUP) – 2024

- पहली पर्यटन इकाई नीति 2007 में जारी की गई।
- इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- नीति के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का सृजन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र से जुड़े निवेशकों एवं उद्यमियों को देय लाभों में वृद्धि की गई है।
- निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। होटल, रेस्तरां एवं अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अंतर्गत सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध होंगे।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति- 2024 के लाभ

- संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ
- स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित लाभ
- औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क
- विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट
- औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क
- "व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 प्रतिशत प्लिथ / 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र (जो भी कम हो) की अनुमति
- औद्योगिक दर पर शहरी विकास (यूडी) कर
- बेटरमेंट लेवी के बिना चार (4) का डबल बिल्ट-अप एरिया (बीएआर)
- प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों / शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस
- फायर एनओसी - एक बार में 3 वर्ष
- परिचालन लाइसेंस (व्यापार, होटल और रेस्तरां लाइसेंस) एक बार में 10 वर्ष
- पहली राज्य होटल नीति 2006 में लागू की गई।



राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024

- लॉन्च: 4 दिसंबर 2024 को।
- मुख्य उद्देश्य: 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है।
- नीति के तहत 2029-30 तक 115 गीगावाट जिसमें 90 गीगावाट सोलर, 25 गीगावाट विंड एव हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसका लक्ष्य 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है।
- पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 50% की छूट से लाभ होगा।
- नोटः- पहली सौर ऊर्जा नीति-2011, में आई
- पहली-पवन ऊर्जा नीति - 2012 में
- पहली बायो मास (BIOMASS) नीति - 2010 में पहली राजस्थान विंड एवं हाइब्रिड एलर्जी नीति (जिसे दूसरी पवन ऊर्जा नीति भी कह सकते है) 2019 में आई
- 2019 में Biomass and Waste to energy policy आई।

- इन सभी नीतियों को मिलाकर 2023 में राजस्थान गैर परम्परागत ऊर्जा नीति नाम दिया गया। जिन्हें 2024 में 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति' बनाकर 4 दिसम्बर 2024 को लांच की गई।

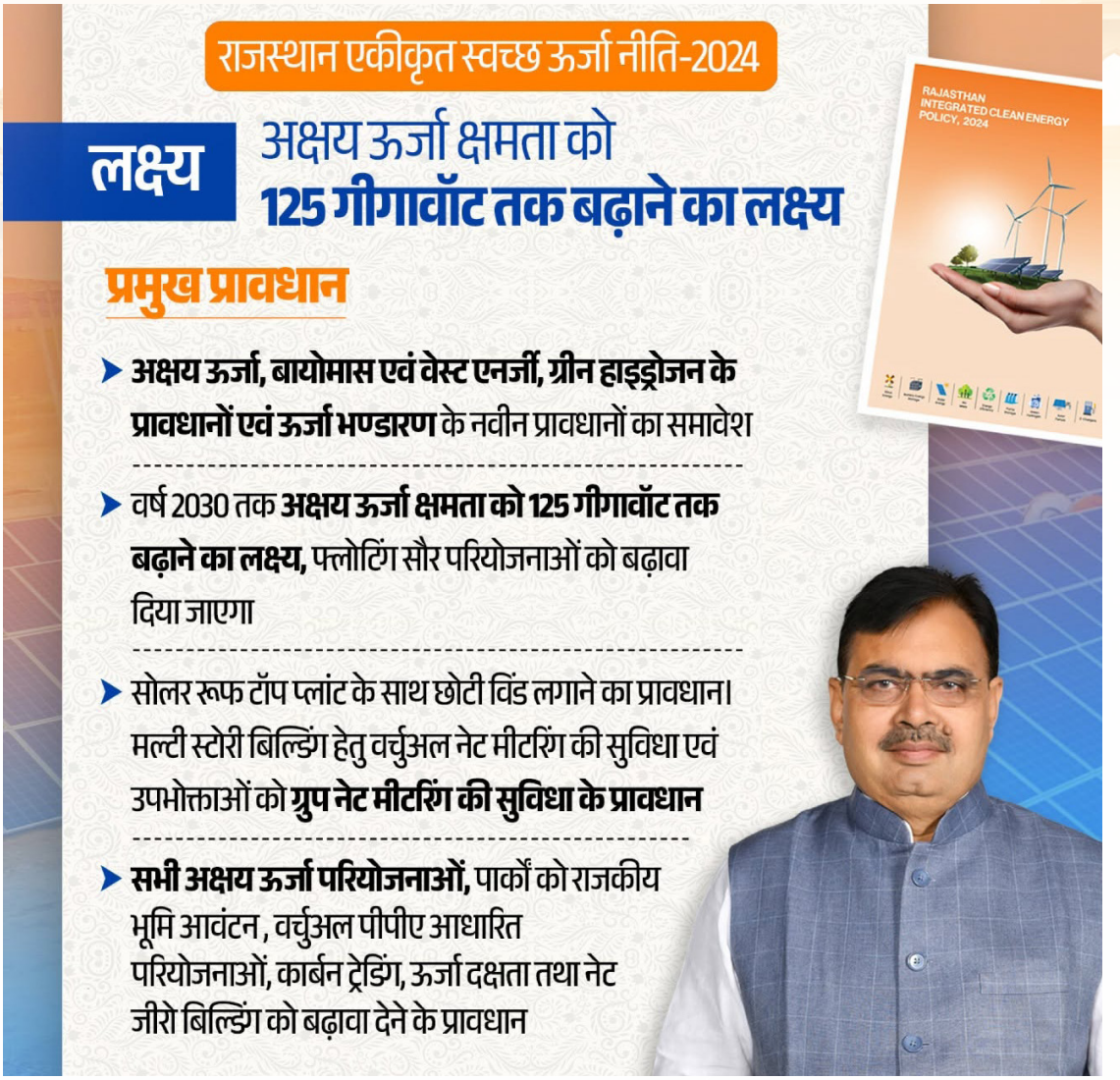

नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति

- यह निजी पार्क डेवलपर्स द्वारा सौर / पवन / हाइब्रिड पार्क के विकास को बढ़ावा देती है।
- उद्देश्य: पावर ग्रिड में बिजली को निकालने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ।

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति- 2023

- ई-वेस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए यह नीति जारी की गई है।
- नीति का उद्देश्य ई-वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
- यह नीति अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर सर्क्युलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पर्यावरण अनुकूल ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- ई-वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को प्रोत्साहित करना ।
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना।
- संसाधनों की पुनर्प्राप्ति (Resource Recovery) और सर्क्युलर इकोनॉमी को समर्थन देना ।
- ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का पालन सुनिश्चित करना।

राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति - 2023

- यह नीति 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को जारी की गई।
- उद्देश्य: राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- यह तापमान वृद्धि, लू, सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- सभी विभागों की योजनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।
- समुदायों, अवसंरचना और पारिस्थितिक तंत्रों की अनुकूलन क्षमता (Resilience) बढ़ाना।
- जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, नवाचार और ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करना।
- प्रभावी क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए संस्थागत व्यवस्था, डेटा प्रणाली और मॉनिटरिंग को मजबूत करना।

राजस्थान वन नीति-2023

- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, पारंपरिक और अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता का सतत प्रबंधन करना है।
- नीति का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक वनस्पति आवरण बढ़ाना है।
- यह नीति प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएँ

- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनों और जैव विविधता का संरक्षण।
- पुनर्वनीकरण, वनीकरण, कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण के माध्यम से वन एवं वृक्षावरण का विस्तार।
- वन एवं चारागाह आधारित संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण।

राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (REVP) 2022

- यह आगामी पाँच वर्षों के लिए सतत् परिवहन हेतु शुरू की गई है।
- उद्देश्य: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा EV ईको सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है |
- वर्ष 2025-26 के लिए SGST प्रतिपूर्ति हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाये जाने को बढावा देता है।
- रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक वाहन तथा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्कों का भी विकास किया जायेगा।
- निजी और सार्वजनिक चार्जिंग आधारभूत अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया है।

प्रावधान

- इलेक्ट्रीक व्हीकल परिदृश्य का निर्माण: मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य में विनिर्माण को प्रोत्साहन देना ।
- उत्तरदायी विभाग: विभिन्न विभागों यथा परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि को नीति की कार्रवाई को क्रियान्वित करने तथा विभागों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- प्रोत्साहनः उपभोक्ताओं के लिए किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।
- आईटी प्लेटफॉर्म: सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल-टाईम स्थिति की जानकारी प्रदान करने हेतु एप्लिकेशन-आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना की जायेगी।

राजस्थान एआई / एमएल नीति- 2026

- इसे 6 जनवरी, 2026 को जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य: शासन में एआई को अपनाना, उद्योगों के लिए एआई प्रोत्साहन और एआई कौशल एवं क्षमता निर्माण।
- यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी।
- यह नीति विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी।

प्रावधान

- इसमें शासन में पारदर्शिता बढाने पर विशेष जोर दिया गया है।
- एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- एआई शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करेगा।
- नीति राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप के अनुरूप तैयार की गई है।
- भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

बाल एवं महिला कल्याण नीति (बजट 2026-27, राजस्थान सरकार में प्रस्तावित)

- प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा नीति (Early Childhood Care & Education Policy) बनाई जाएगी।

- धर्मशालाओं के निर्माण हेतु Build Operate-Transfer (BOT) आधारित नीति लाई जाएगी।
- डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति (Digital Infrastructure Facilitation Policy) और भौगोलिक स्थानिक नीति (Geo- Spatial Policy) लाई जाएगी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (Solid Waste Management Policy) लागू की जाएगी।
- एम- सैंड नीति (M-Sand Policy) के तहत निर्माण कार्यों में उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
- RIPS-2024 के तहत न्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस औरवैश्विक क्षमता केंद्र (GCC Sector) को विस्तार लाभ दिए जाएंगे।
- कंटेनर निर्माण (Container Manufacturing) को RIPS-2024 के अन्तर्गतप्रोत्साहित क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- ऊर्जा परिवर्तन कौशल क्लस्टर (Energy Transition Skilling Cluster) के माध्यम सेग्रीन रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी - 2024 के तहत विस्तार हेतु 10% मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।
- शहरी आवास को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नई प्रगतिशील नीति लाई जाएगी।
- शहरी विकास के लिए नई TDR Policy लागू की जाएगी।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- मुख्य उद्देश्य: राज्य को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण का हब बनाना.
- प्रमुख क्षेत्र: जोधपुर, पाली और मारवाड़ क्षेत्र को 'प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर' के रूप में विकसित किया जा रहा है.
- लाभ: भारत सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी सहायता, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट और स्टाम्प ड्यूटी में 75% की छूट

राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- मुख्य उद्देश्य: एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- लाभ: निवेश को आकर्षित करने के लिए, लार्ज और मेगा श्रेणियों के उद्योगों को 7 वर्षों तक स्टेट टैक्स में 75% का निवेश अनुदान (Reimbursement) और एंप्लॉयमेंट बूस्टर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी।

राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026

- 18 मार्च 2026 को लागू।
- मुख्य उद्देश्य: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और एकीकृत औद्योगिक (Industrial) हब का निर्माण करना।
- सुविधा: 'राज-निवेश' पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो सिस्टम से मंजूरी, भूमि और लीज रेंटल सब्सिडी में लाभ, तथा कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा।

Samyak
An Institute For Civil Services

RAS-2024 RESULT

सम्यक् मार्गदर्शन सर्वश्रेष्ठ परिणाम


RANK 2
Virendra Charan


RANK 3
Navneet Sharma


RANK 4
Ravindra Singh


RANK 5
Vikash Siyag


RANK 6
Aishwarya Kanwar


RANK 7
Dinesh


RANK 9
Bhoopender Singh

07 RANKS in TOP 10 | **56 RANKS in TOP 100** | **690+ SELECTION in RAS-2024**

IAS | RAS

FOUNDATION &

क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ
2 & 3 वर्षीय कोर्स

PSI

PAPER 1st & PAPER 2nd

COURSE FEATURE

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- प्रिंटेड बुकलेट्स / ई-नोट्स*
- टेस्ट सीरीज
- पर्सनल मेंटरशिप
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क

Offline & Online Separate Batches For Hindi & English Medium

HEAD OFFICE: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111

सम्यक् मार्गदर्शन = सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RAS 2024 में TOP 10 में 7, TOP 100 में 56, सहित 690+ चयन

सभी सफल प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई!

RANK 2

VIRENDRA CHARAN

RANK 3

NAVNEET SHARMA

RANK 4

RAVINDRA SINGH

RANK 5

VIKASH SIYAG

RANK 6

AISHWARYA KANWAR

RANK 7

DINESH

RANK 9

BHOOPENDER SINGH

RANK 12

KULDEEP SHARMA

RANK 13

KAILASH KUMAR

RANK 16

KAILASH RANWA

RANK 18

UMANG RAWAL

RANK 23

SAHDEV BIDADA

RANK 24

PARAMVEER SINGH

RANK 25

SWAROOP SINGH

RANK 26

AANCHAL NAGPAL

RANK 27

MAMTA LIMBA

RANK 28

ARIHANT JAIN

RANK 29

SIMRAN SHEKHAWAT

RANK 30

VINAY MOHAN

RANK 31

ANSHIKA AGARWAL

RANK 33

LOKENDRA SINGH

RANK 34

VIKAS CHOUDHARY

RANK 35

SANJU

RANK 36

KRISHANPAL SHEKHAWAT

RANK 43

JITENDRA

RANK 45

AMAR SINGH RATHORE

RANK 46

MANASVINI VERMA

RANK 48

TULSI

RANK 49

RAMAVTAR MUNDEL

RANK 50

DHARMRAJ SINGH RAO

RANK 52

BHOOMIKA TRIVEDI

RANK 55

RONAK

RANK 57

POONAM

RANK 58

SACHIN AGRAWAL

RANK 59

PARUL CHOUDHARY

RANK 61

KAMLESH KR SHARMA

RANK 65

ARIMARDAN CHAUHAN

RANK 66

UNNAT KISHOR RAJORA

RANK 70

KRITIKA GAUR

RANK 71

URMILA VISHNOI

RANK 73

JAYESH PRAJAPAT

RANK 74

MAHENDRA DAN

RANK 76

SIDDHARTH DHAKAD

RANK 77

JYOTSANA RANAWAT

RANK 78

CHOUDHARY MADHU ROOPARAM

RANK 79

NITESH GUPTA

RANK 80

VIKASH BISHNOI

RANK 82

DAMODAR PAREEK

RANK 83

KAILASH KUMAR

RANK 84

SHYAM SUNDER MEENA

RANK 85

MOHIT GODARA

RANK 86

NARASI RAM BISHNOI

RANK 87

RAM RATAN BATESAR

RANK 88

MAHENDRA CHOUDHARY

RANK 99

GHAMANDA RAM

RANK 100

VANDANA PATEL

690+...